NO. 5-3-VII-3-89. In exercise of the powers conferred by sub – rule (3) of rule 1 of the Madhya Pradesh Standards of Weights and Measures (Enforcement) Rules, 1989, the State Government hereby appoints the Ist day of May, 1989 as the date on which all the provisions of the said rules shall come into force in whole of the State of Madhya Pradesh for all classes of activities.

No. 513-VII-3-89. In exercise of the powers conferred by Section 72 of the Standards of Weight and Measures (Enforcement) Act, 1985 (No. 54 of 1985), the State Government, after consultation with the Government of India, hereby makes the following rules, the same having been previously publish in "Madhya Pradesh Gazette", dated the 9th February 1989, as required by sub-section (4) of the said section, namely:-

THE MADHYA PRADESH STANDARDS OF WEIGHTS AND MEASURES (ENFORCEMENT) RULES, 1989

- **1- Short title and commencement** (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Standard of Weights and Measures (Enforcement) Rules, 1989.
- (2) They extend to the whole of Madhya Pradesh.
- (3) They shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint, and different dates may be appointed for
 - a. different provisions of these rules; or
 - b. different areas; or
 - * Omitted
- **2- Definitions** In these rules, unless the context otherwise requires -
 - (a) "Act" means the Standards of Weights and Measures (Enforcement)
 Act, 1985.
 - (b) "Reference Standard Laboratory" means a laboratory set up by the Central Government under the Standards Act where reference Standards and Secondary Standards are maintained:
 - (c) "Schedule" means a schedule appended to these rules :

[#] Published in the gazette of M.P. dated 12-4-89

^{*} Clause (c) omitted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-05

- (d) "Standards Act" means the Standards of Weights and Measures Act, 1976.
- (e) The Words and expression used in these rules and not defined but defined in the Act, the Standards Act and the Rules made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts and Rules.*
- **3- Reference Standards** The reference Standards shall be kept at such place, in such manner and in such custody as may be prescribed under the Standards Act.
- 4- Secondary Standards (1) Every secondary Standard shall be verified at any of the Reference Standards Laboratories, in such manner and at such periodical intervals as may be prescribed under the Standards Act and shall, if found on such verification to conform to the Standards established by or under that Act, be stamped by the Laboratory in charge of the Reference Standards Laboratory.
- (2) The verified Secondary Standards shall be kept at such place, and in such custody as the controller may direct.
- 5- Working Standards (1) Every working Standard shall be verified either at any of the Reference Standards laboratories or at any of the places where Secondary Standard are maintained by the State Government, in such manner and at such periodical intervals as may be prescribed under the Standards Act and shall, if found on such verification to confirm to the Standards established by or under that Act, be stamped, as the case may be, by the Laboratory incharge of the Reference Standard laboratory or by the Controller or such other officer as may be authorized by the Controller in this behalf.
- (2) The verified Working Standards shall be kept in the custody of Inspectors.
- **Secondary Standard balances** –(1) A set of secondary standard balances shall be maintained at every place where the Secondary Standard Weights are kept.

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P. dated 1-4-05

- (2) The number, types and specifications of such balances shall be such as may be prescribed under the Standards Act.
- (3) Every secondary standard balance shall be verified at least once within a period of twenty four months and shall be adjusted, if necessary, to make it correct within the limits of sensitivity and other metrological qualities prescribed under the Standards Act, by the Laboratory In-charge of the Reference Standards Laboratory or by the Controller or such other officer as may be authorized by the Controller in this behalf. *
- 7- Working Standard Balances (1) A set of working standard balances shall be maintained at every place where Working Standard Weights are kept.
- (2) The number, types and specifications of such balances shall be such as may be prescribed under the Standards Act.
- (3) Every working standard balance shall be verified at least once within a period of twelve months and shall be adjusted, if necessary, to make it correct within the limits of sensitivity and other metrological qualities prescribed under the Standards Act, by the laboratory in-charge of the Reference Standard Laboratory or by the Controller or such other officer as may be authorized by the Controller in this behalf.
- 8- Physical characteristics, configuration, constructional details of Weights and Measures Every Weight or measure used or intended to be used in any transaction or for industrial production or for protection shall conform as regards physical characteristic, configuration, constructional details, materials, performance, tolerances and such other details, to the specifications prescribed under the Standards Act.
- 9- Use of Bullion Weights, Carat Weights etc. (1) No Weight other than a Bullion Weight shall be used in any transaction in bullion including precious metals pearls and ornaments and other articles made of gold or silver.
- (2) No weight other than a carat weight shall be used in any transaction in precious stones.

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P. dated 1-4-05

(3) No beam scale or weighing instrument other than a class A or class B beam scale or a non automatic weighing instrument of high accuracy class (class II) or special accuracy class (class I) shall be used in any transaction referred to in sub-rules (1) and (2). *

Omitted

- 11- Use of weights only or measures only or number only in certain cases. –

 Except in the cases of commodities specified in Schedule IV, the declaration of quantity in every transaction, dealing or contract, or for industrial production or for protection shall be terms of the unit of -
 - (a) Weight, if the commodity is solid, semi-soled, viscous or a mixture of solid and liquid;
 - (b) Length, if the commodity is sold by linear measure;
 - (c) Area, if the commodity is sold by area measure;
 - (d) Volume, if the commodity is liquid or is sold by cubic measure; or
 - (e) Number, if the commodity is sold by number.
- 12- Licensing of manufacturers, repairers and dealers of Weights and Measures (1) Every manufacturer or repairer of, or dealer in, weight or measure shall make on application for the issue of a license to the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf, in the appropriate form set out in Schedule V-A.
- (2) Every manufacturer or repairer of dealer in, weight or measure shall make an application for the renewal of a license at least thirty days before the expiry of validity of the license to the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf, in the appropriates form set out in Schedule V-B. *
- (3) Every license issued to a manufacturer, repairer or dealer shall be in the appropriate form set out in Schedule VI.
- (4) Every license issued to a manufacturer, repairer, or dealer shall be valid for a period of one calendar year, and may be renewed for a period of five years by

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P. dated 1-4-05, # Rule 10 omitted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P. dated 1-4-05

- the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf on payment of five times of the fee specified in Schedule VII.*
- (5) The fees payable for the license referred to in sub-rule (1) and (2) and for it's renewal shall be as specified in Schedule VII:

 Provided that an additional fee at full the rates specified in Schedule VII shall be payable by the applicant if he is permitted by the Controller to make the application for the renewal of a license within a period of one month from the date of expiry of the period of validity of the license. *
- (5A) The fee payable for the alteration of a license or for the issue of a duplicate license shall be as specified in Schedule VII. #
- (6) The Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf shall maintain a register of license manufacturers, dealers and repairs in the form set out in Schedule VIII.
- (7) Every repairer licenses under the Act and these rules shall -
 - (a) be required to maintain such equipment and tools, as the Controller may direct; and
 - (b) furnish to the State Government a security deposit for each license as specified in Schedule IX.
- (8) The weight or measures seized by the Controller or any other officer authorized by him in writing, in this behalf, under sub- section (5) of Section 20 of the Act, shall be sold and proceeds thereto credited to the Government.
- (9) Every license to a manufacturer ,repairer or a dealer shall be issued by the Controller or any other officer authorised by him in this regard as per the norms and procedure prescribed. **
- **13- Records to be maintained by manufacturers, etc -** (1) Every manufacturer or repairer of, or dealer in weight or measure licensed under the Act and these rules shall maintain a register in the appropriate form set out in Schedule X.

*** Omitted

^{*} Substituted and vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P. dated 1-4-05, # sub-rule (5A) inserted vide amendment dated 1-5-96 published in the gazette of M.P. dated 15-5-96, ** sub-rule (9) inserted and *** sub-rule (2) omitted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P. dated 1-4-05.

Controller may direct.

14- Periodical interval for the verification of weights or measures – (1) Every weight or measure used or intended to be used in any transaction or for industrial production or for protection shall be verified or re-verified and stamped at least once in 12 months. The re-verification and stamping shall be done in the same quarter of the next year:

Provided that storage tanks including vats shall be re-verified or re-calibrated and stamped at least once in a period of five years.

Provided further that weights including bullion and carat weights shall be reverified and stamped once in a period of twenty four months.

Provided also that the Beam Scale, Counter Machine and Liquid Capacity Measures (dipping measure, pouring measure and conical measure) shall be re-verified and stamped once in a period of twenty four months.*

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (i) every weight or measure which has been verified and stamped in situ shall, if it is dismantled and reinstalled before the date on which the verification falls due be duly re-verified and stamped on payment of the prescribed fee, before being put into use.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (i) every weight or measure which has been verified and stamped shall, if it is repaired before the date on which the verification falls due be duly re-verified and stamped on payment of the prescribed fee, before being put into use.
- 15- Verification and inspection of weights or measures (1) Every person using any weight or measures in any transaction or for industrial production or for protection shall present such weight or measure for verification/ reverification, at the office of the Inspector at such other place as the Inspector may specify in this behalf on or before the date on which the verification falls due:

Provided that where any weight or measure is such that it cannot, or should not be moved from It's location, the person using such weight or measure shall

^{*} Rule 14 Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-05

- report to the Inspector at least thirty days in advance the date on which the verification falls due.
- (2) Where any weight or measure is such that it cannot, or should not, be moved from it's location, the Inspector shall necessary steps for the verification of such weight or measure at the place of in location.
- (3) For the verification of weight or measure referred to in sub-rule (ii) the user shall provide such facilities as may be specified by the Controller. *
- (4) Every weight or measure presented for verification shall be complete in itself and not bear a manufacturer's mark which might be mistaken for the Inspector's stamp.
- (5) Every weight or measure shall be verified in a clan condition, and if necessary, the Inspector shall require the owner or user to make necessary arrangement for the purpose.
- (6) Where a weight or measure is brought to the Inspector for verification or reverification, he may verify the same after receipt of the prescribed fee. *
- (7) An Inspector shall visit, as frequently as possible during the period specified in sub-rule (1) of rule 14, every premises within the local limits of his jurisdiction to inspect and test any weight or measure which is being or is intended or likely to be used in any transaction or for industrial production or for protection.
- 16- Stamping of weights or measures (1) The Inspector shall stamp every weight or measure, if after verification, he is satisfied that such weight or measure conforms to the standards established by or under the Standards Act, with a stamp of uniform design, issued by the Controller, which shall indicate the number allotted for administrative purpose to the Inspector by whom it is stamped.

Provided that if by reason of the size or nature of any weight or measure it is not desirable or practicable to put a stamp thereon, the Inspector shall take such action as may be directed by the controller by a general or a special order in writing.

^{*} Clause (c) omitted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-05

- (2) The Inspector shall also mark the year and it's quarter of stamping on every verified weight or measure except when the size or nature of such weight or measure makes it impracticable.
 - **Explanation** A year shall be deemed to consist of four quarters of which first quarter shall be of the months of January, February and March which shall be marked as A; second quarter shall be of the months of April, May and June which shall be marked as B, third quarter shall be of the month of July, August and September which shall be marked as C and forth quarter shall be of the months of October, November and December which shall be marked as D. *
- (3) On completion of verification and stamping the Inspector shall issue a certificate of verification in the form set out in Schedule XI.
- (4) Where a certificate of verification is lost or destroyed, the holder of the certificate of verification shall forthwith apply to the Inspector who had issued the certificate, for the issue of a duplicate certificate, of verification. Every such application for the issue of a duplicate certificate shall be accompanied by a fee of rupees Ten. *
- (5) On receipt of an application under sub-rule (4), the Inspector shall issue to the application a duplicate copy of the certificate of verification marked 'DUPLICATE'.
- **17- Fee for verification -**(1) Fees payable for verification and stamping of weight or measure at the office or camp office of the Inspector shall be as specified in schedule XII.
- (2) If, at the request of the user of weight or measure, verification is done at any premises other than the office or camp office of the Inspector, an additional fee shall be charged at full rates specified in schedule XII and the user of the weight or measure shall also pay the expenses incurred by the Inspector for visiting the premises including the cost of transporting and handling the Working Standard and other equipment subject to a minimum of rupees one hundred:*

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-05

Provided that no additional fee shall be charged for verification and stamping in situ of, -

- (a) Vehicle tanks, dispensing pumps, weigh bridges, dormant platform machines and such other weight or measure which cannot, and should not be moved from its location:
- (b) Weight and measure in the premises of a manufacturer or stockiest of such weight and measures.
- (3) If a weight or measure is presented to the Inspector for re-verification after expiry of the validity of the stamp, an additional fee at half the rates specified in schedule XII shall be payable for every quarter of the year or part thereof. Provided that no additional fee shall be charged for a part of the quarter in which the validity of the stamp is due to expire. #
- (4) Full fee shall be payable for re-stamping any weight or measure held in stock with manufacturer or dealer within the period specified in rule 14 from the date on which it was last stamped, provided that the original stamp was not obliterated under sub-section (3) of section 28 of the Act. *
- (5) A weight or measure which on verification is found to be incorrect shall be returned to the person concerned for adjustment informing him, in a profarma specified by the controller, of the defects found in the weight or measure, and calling upon him to remove the defects within a period not exceeding seven days. When the necessary adjustment has been carried out, such weight or measure shall be verified on payment of fifty per cent of the fees specified in schedule XII and if found correct shall be stamped.
- (17-A) Fee for grant of copies of any document: Fee payable for the grant of certified copies of any document by an Assistant/Deputy Controller, not being a document of confidential nature shall be one rupee for every 10 words or less. #*
- **18-** Collection of fees and deposit into the Treasury (1) Before commencing the work of verification or re-verification, the Inspector shall inform the

[#] sub-rule (17A) inserted vide amendment dated 1-5-96 published in the gazette of M.P. dated 15-5-96, * amended vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P. dated 1-4-05.

person concerned of the fees payable by him under these rules and shall receive the same in the manner as specified by the controller and issue a receipt on the form approved by the Controller, one copy of such receipt being kept on record. *

Provided that fees payable by a department of the Central or State Government under these rules may be realized in such manner as may be directed by the Controller.

- (2) The Inspector shall maintain a register, in the form approved by the Controller, which shall be written up from day- to day and shall show the amount of fees and other charges collected during the day.
- (3) All payment received by the Inspector during the week shall be paid into the Government Treasury under the appropriate "Head of Account" on such dates or days as may be specified by the Controller from time to time, and a receipt thereof be obtained and an intimation to that effect be sent to the Controller or other officer authorized by him in this behalf.
- **19- Disposal of seized weights, measures, etc.** -(1) Any weight or measure or document or thing or goods seized and detained under section 30 or 31 of the Act, which is not to be the subject of proceedings in a court, shall, after the expiry of sixty days of its seizure, be so dealt with as the controller may be general or special order direct and the materials thereof shall be sold and the proceeds credited to the Government.

Provided that the Controller may direct that un-verified weight or measure shall be returned to the person from whom such weight or measure was seized if that person gets the same verified and stamped, within ten days of the return, on payment of the prescribed fee including the additional fee payable for undertaking re-verification after the expiry of the validity of the stamp.

(2) Any weight or measure or document or thing or goods seized and detained under sections 30 or 31 of the Act, which is to be the subject of proceedings in a court shall be produced by the Inspector before the court shall after conclusion

of the proceedings, be taken possession of by the Inspector and dealt with in accordance with the orders of the court:

Provided that in the absence of the orders of the court, weight or measure or document or thing or goods shall be deal with as the controller may be special order direct and the material thereof shall be sold and the proceeds credited to the Government. *

- (3) If any goods, seized under sections 30 or 31of the Act. are subject to speedy or natural decay, the Inspector shall have the goods weighed or measured on a verified weighting or measuring instrument available with him or nearest the place of offense and enter the actual weight or measure of the goods in a form specified by the controller for this purposes, and shall obtain the signature of the trader or his agent or such other person who has committed the offence. The goods in question shall be returned to the trader or the purchaser as the case may be:
 - Provided that if the trader or his agent or the other person (who has committed the offence) refuses to sign the form, the Inspector shall obtain the signature of not less than two persons present at the time of such refusal by the trader or his agent or other person. in the case of goods returned to the traders he shall give an undertaking that he shall not sell the defective goods without rectifying the defects thereon.*
- (4) Where the goods seized under sub-section (1) of Section 29 of the Standards Act are contained in a package and the package is false or does not conform to the provisions of the Act or any rules made there under and the goods In such package are subject to speedy or natural decay, the Inspector so far as may be, may dispose of the goods in such package in accordance with the provisions of sub-rule (3). Provided that the controller shall be the final authority to decide whether the goods seized and detained are subject to speedy or natural decay. *
- (5) Where the goods seized under sub-section (1) of Section 29 of the Standards act are not subject to speedy or natural decay, the Inspector may retain the package for the purpose of prosecution under this Act after giving the trader or his agent or the other person (who has committed the offence) a notice of such seizure. *
- (6) The goods referred under sub-rule (4) which are not to be the subject of proceedings in a court, shall after the expiry of sixty days of its seizure, be so dealt with as the Controller may by special order direct. #

^{*} Substituted and # inserted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-05

- **20- Qualifications of Inspectors:** (1) No person shall be appointed as Inspector unless he (a) As a graduate of a recognized university in Science (with physics as one of the subjects), technology or engineering or holds a recognized diploma in engineering; and (b) Is able to speak, read and write at least one of the regional languages of the state.
- (2) Nothing in sub-rule (i) shall apply to persons who have been working as Inspectors are eligible for promotion as Inspector before the commencement of these rules.
- (3) The person appointed to the post of Inspector shall have to complete the basic training course at the Indian Institute of Legal Metrology established by the Central Government under section 76 of the Standards Act before he is considered for confirmation to the post.
- **21- Provision of working standards, equipment, etc. to the Inspector** (1) Every Inspector shall be provided with working standards, working standard balances, and such other equipment includes weighing and measuring devices as may be approved by the Controller from time to time.
- (2) Every Inspector shall be provided with such dies, punches and such other equipment as may be necessary for affixing the verification stamp, the design and number of which are to be approved by the Controller.
- (3) Every Inspector shall be provided with punches of suitable sizes of eight-pointed star as shown below for obliterating stamps -
- **22-** Providing relating to use of weights measure, etc (1) Every person using a beam scale in any transactions in his premises shall suspend the same to a stand or to a chin by a hook:
 - Provided that this sub-rule shall not apply to itinerant vendors.
- (2) Every weight or measure shall be used in a clean condition and in proper lighting arrangement
- (3) Any weight or measure which has been verified and stamped in situ shall not be dismantled and removed from its original site without prior intimation to the Controller or other person authorized by him in this behalf.

* Omitted

^{*} Sub rule 4 Omitted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-05

(5) To ensure a proper check of the accuracy of a weighing instrument the user shall keep at the site of each weighting instrument duly verified and stamped weights equal to one-tenth of the capacity of the instrument or one tonne whichever is less:

Provided that the Controller may specify the total number of verified and stamped weights to be maintained in trade premises where the number of weighting instruments is more than one.

- (6) To ensure proper delivery of the petrol/diesel pumps, the retail dealer of the pump shall keep a verified 5 liter capacity measure in his premises and check the out put from the pump every day to ensure its correct delivery. In case of any short delivery the dealer shall stop the delivery through the pump immediately and inform the Inspector/authorized officer to recalibrate the pump. *
- **23- Certificate of verification to be exhibited** The person to whom a certificates of verification is issued shall exhibit the same in a conspicuous place in the premises where the weights, measures or weighting or measuring instruments to which the certificate relates are used:

Provided that in the case of itinerant vendor, the certificate shall be kept on the his person:

Provided further that in the case of vehicle tank, the certificate of verification shall be kept with the vehicle.

- **24- Penalty for contravention of rules** Whoever contravenes any provision of these rules, for the contravention of which no punishment has been separately provided in the Act, shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees.
- **25-** Form of appeal (1) Every appeal under the Act and these rules shall be preferred in the form set out in schedule XIII, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against.
- (2) A court fee label of rupees two shall be affixed on the appeal petition.
- (3) An application for appeal shall be accompanied by fee of Rs. 25. #

^{*} sub-rule (6) inserted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P. dated 1-4-05, # sub-rule (3) inserted vide amendment dated 1-5-96 published in the gazette of M.P. dated 15-5-96

- * Omitted
- * Omitted
- * Omitted
- * Omitted

SCHEDULE - IV

(See rule 11)

Exceptions referred to in rule 11

1- The following commodities may be sold by weight, measure or number as show against the commodity.

TABLE

		IADLE
Sr. No	c. Commodity	Whether declaration to be expressed in terms of
		Weight, measure or number or two or more of them.
(1)	(2)	(3)
1-	Aerosol products	Weight
2-	Acids in liquid form	Weight or volume
3-	Compressed or liquefied	Weight and equivalent volume at stated
	gas (but not liquefied	temperature and pressure.
	petroleum gas	
4-	Butter (incl, peanut butter),	Weight
	cheese, curd, ghee	
5-	Electric cables	length or weight
6-	Electric wire	length or weight
7-	Fencing wire	length or weight
8-	Hair oil, un perfumed	Weight
9-	Fruits and vegetables	Number or weight
10-	Furnace oil	Weight or volume

^{*} Schedules I, II, IIA and III omitted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-05

11-	Linseed oil and other	Weight
	vegetable oils	
12-	Heavy residual fuel oil	Weight
13-	Industrial diesel fuel	Volumes
14-	Honey, malt extract, golden	Weight
	syrup treacle	
15-	Ice cream and other similar	Weight or volume
	frozen products	
16-	Liquid chemicals	Weight or volume
17-	Liquid petroleum gas	Weight
18-	Nails, wood screws	Number or weight
19-	Paint (other than paste paints	Volume
	or solid paint), varnish and	
	varnish stairs, enamels	
20-	Papad	Number and weight
21-	Paste paint, solid paint	Weight
22-	Ressogulla, Gulabjamun	Weight
	and other sweet preparations	
23-	Ready made garments	Number and size
24-	Sauce, all kinds	Weight
25-	Tyres and tubes	Number
26-	Yarn	Weight or length of yarn

SCHEDULE - V "A"

[See rule 12 (1)]

Form - LM - 1*

[Application form for license as manufacturer of weights, measures under the standards of weights and measures (enforcement) Act, 1985]

		To be filled by the	Comments of the
		Applications	inspection officer
	(1)	(2)	(3)
1.	Name of the manufacturing concern for is desired.	which license	
2.	Complete address of the concern. Whet are owned/rented/taken on lease/leave l supported by documents.	-	
3.	Date of Establishment of workshop/fac	tory	
4.	Name (s) and address (s) along with the husband's name of proprietor (s) and/or Managing Director (s) in the case of Li	Partners and	
5.	The date and current registration numbershop/establishment/Municipal Trade lice	•	
6.	Nature of manufacturing activities at pr	resent	
7.	The type of weights and measures proposed manufactured viz: (i) Weights (ii) Measures (iii) Weighing Instruments (iv) Measuring Instruments with decomposition of the control of the c		
8.	The number of persons employed/proportion (i) Skilled (ii) Semi-skilled (iii) Unskilled (iv) Specialist trained in the line	osed to be employed	
9.	The monogram or trade mark intended on weights and measures to be manufactured.	-	

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-

10.		s of machinery, tools accessories, owned and for manufacturing weights measures etc.	
11.		s of foundry/workshop facilities arranged. ner ownership, long term lease etc.	
12.	Facility Vital 1	ties of steel casting and hardness testing of parts.	
13.	Availa	ability of electric energy.	
14.		s of loan received from Government or financiation. If so, give details.	ial
15.	Name	of bankers, if any.	
16.		Tax Registration Number/CST Number/ssional Tax registration Number/IT Number.	
17.		you applied previously for a manufacturer's e? If so, when and with what results?	
18.	(a) (b)	Whether the item (s) proposed to be manufactured will be sold within the State of out side the state or both. Details of Model Approval received from Government of India; or When can you proof for inspection samples of your products for license is desired?	luce
		To be certified by the app	plicant (s)
of W admi	dards of eights a nistration I/W by the	tified that I/We have read the Standards of f Weights and Measures (Enforcement) Act, 1 and Measures (Enforcement) Rules, 1989 and we orders and instructions issued or to be issue a gree to deposit the Scheduled license fees a Licensing Authority.	985 and the Madhya Pradesh Standards agree to abide by the same and also the d there under. with Government as soon as required to
Place	e :		
Date	:		Signature and Designation
	,	To be filled in by Departmental Officer	of the State Government
Date	of Rec	eipt of Application :	
		per of application :	
		ection :	
Reco	mmend	lation of Inspecting Officer:	
Place	e :		
Date	:	Signatu	re and Designation of Inspecting Officer

Final orders of Licensing Authority

Licer	nse granted / refused : nse Number : I till :		
Place Date			
	SCHED	ule – VA	
	[See ru	ile 12 (1)]	
	Form	LR – 1*	
[App	olication for license as repairs of we	eights, Measures	s, Weighing Instruments and
Mea:	suring Instruments under the Standards	of Weights and	Measures (Enforcement) Act,
То,			
		To be filled by	Comments of the
		the applicants	inspecting officer
	1	2	3
То,			
1.	Name of the repairing concern seeking the	e license.	
2.	Complete address of the workshop.		
3.	(a) Whether premises are owned/rented lease/leave license dully supported by doc(b) Date of establishment.		
4.	Name (s) and address (s) along with their husband's name of proprietor (s) and/or Pa Managing Director (s) in the case of Limi	artners and	
5.	Number and date of shop/establishment/co Municipal Trade License.	urrent	

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-

6. 7.	Professional Tax/IT Tax registration Number. The type of weights and measures proposed to repaired.	
8.	Area in which you wish to operate.	
9. 10.	Previous experience in the line. Number of skilled staff employed or proposed to be employed: (i) Skilled (ii) Semi-skilled (iii) Unskilled (iv) Employees trained in the line	
11.	Details of machinery/tools/accessories available.	
12.	Availability of electric energy.	
13.	Have you sufficient stock of loan/test weights. etc. ? Give details.	
14.	Have you applied previously for a repairer's license? If so, When and with what results?	
	To be certified by the applican	nt(s)
of W	Certified that I/We have read the Standards of Weighards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985 a eights and Measures (Enforcement) Rules, 1989 and agree histrative orders and instructions issued or to be issued there	nd the Madhya Pradesh Standards to abide by the same and also the
do so	I/We agree to deposit the Scheduled license fees with C by the Licensing Authority.	Government as soon as required to
	All the information furnished above is true to the best of	my/our knowledge.
Place	:	
Date	:	Signature and Designation
	To be filled in by Departmental Officer of the	e State Government
Date	of Receipt of Application :	
Seria	Number of application:	
Date	of inspection :	
Reco	mmendation of Inspecting Officer:	

Place			
Date		Signature and De	signation of Inspecting Officer
	Final orders o	f Licensing Authori	ty
Lice	nse granted/refused :		
Lice	nse Number :		
Vali	d till :		
Place			
Date			
Dute			
	Sch	EDULE – VA	
	[See	e rule 12 (1)]	
	Fo	orm LD-1*	
	[Application Form for License as	_	
	Standards of Weights and	Measures (Enforcen	nent) Act. 1985]
To,			
		To be filled by	Comments of the
		the applicants	inspecting officer
	1	2	3
1.	Name of the establishment/shop/person	n seeking the	
_	license.		
2.	(a) Complete address of the establishmerson	hment/shop/	
	person. (b) Whether the premises are owned	/rented/taken	
	on lease/leave license, duly supp		
	documents.	•	
3.	Date of establishment.		
4.	Name (s) and address (s) along with th		
	husband's name of proprietor (s) and/or		
	Managing Director (s) in the case of L		
5.	Number and date of Registration Number and date of Registration Number and Associated Production of the Number and Associated		
6.	shop/establishment/Municipal Trade L Categories of weights and measures so		
0.	to be sold at present.	ia proposcu	
7	Registration Number of CST/Sales Tax	y/Professional	

Tax/Income Tax.

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-

8.	Do you intend to import weights, etc. from places outside the State/Country? If so indicate sources of supply. (Give details of manufacturer's trade mark/monogram and his license number).	
9.	Have you applied previously for a dealer's license, either in this State or elsewhere ? If so give details ?	
	To be certified by the applican	nt(s)
of W	Certified that I/We have read the Standards of Weighards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985 a eights and Measures (Enforcement) Rules, 1989 and agree nistrative orders and instructions issued or to be issued there	nd the Madhya Pradesh Standards to abide by the same and also the
do so	I/We agree to deposit the Scheduled license fees with C by the Licensing Authority.	Government as soon as required to
	All the information furnished above is true to the best of	my/our knowledge.
Place):	
Date	:	Signature and Designation
	To be filled in by Departmental Officer of the	e State Government
Date	of Receipt of Application:	
Serial	l Number of application :	
Date	of inspection :	
Reco	mmendation of Inspecting Officer:	
Place	:	
Date	: Signature and	Designation of Inspecting Officer
	Final orders of Licensing Auth	ority
Licen	nse granted/refused :	
Licen	se Number :	
Valid	till:	
Place	1	

Date: Signature and Designation

SCHEDULE VB

[See rule 12 (2)]

Form LM-2*

[Application for renewal License as Manufacturer of Weights, Measures under the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act. 1985]

To be filled by

the applicants

Comments of the

inspecting officer

	1	2	3
1.	Name and complete address of the manufactur concern for which renewal of license is desired	_	
2		ea.	
2.	Manufacturing License No.	/	
3.	Name (s) and address (s) along with their fath		
	husband's name of proprietor (s) and/or Partner		
1	Managing Director (s) in the case of Limited		
4.	(a) Type of weights and measures which are	e	
	manufactured as per license granted. (b) Do you propose any change.		
5	(b) Do you propose any change. The monogram or trade marks used on weight	ta and	
5.	measures manufactured by you.	is and	
6.	Details of workshop facilities available.		
	-	20*9	
7. 8.	Details of production and sales in the last 5 ye Number and date of shop/establishment Regis		
0.	Number.	stration	
9.	Registration Number of Sales Tax/CST/Profe	ssional	
9.	Tax/Income Tax.	SSIOIIai	
	Tax/fileonie Tax.		
	To be certified by t	he applic	ant (s)
of W	Certified that I/We have read the Standa dards of Weights and Measures (Enforcement) eights and Measures (Enforcement) Rules, 198 nistrative orders and instructions issued or to b	Act, 1985 89 and agree issued th	and the Madhya Pradesh Standards ee to abide by the same and also the ere under.
	I/We have deposited the Scheduled lic) to the Sub-Treasury/Bank		` 1
	nal challan is enclosed.		
	All the information furnished above is true	to the best	of my/our knowledge.
Place			
Date	: Signature and Designation		
	abstituted vide amendment dated 17-3-05	published	in the gazette of M.P.dated 1-4-
0.5		•	

SCHEDULE VB

[See rule 12 (2)]

Form LR-2*

[Application for renewal License as Repairers of Weights, Measures under the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act. 1985]

		To be £11ed 1	Comments of the
		To be filled by	Comments of the
		the applicants	inspecting officer
	1	2	3
1.	Name and complete address of the repair	ing concern/	
	person seeking renewal of the license.		
2.	Repairer's License Number.		
3.	Name (s) and address (s) along with their	father's/	
	husband's name of proprietor (s) and/or P	Partners and	
	Managing Director (s) in the case of Lim	ited company.	
4.	Registration Number and date of current	shop/	
	establishment/Municipal Trade License.		
5.	Registration Number of Sales Tax/CST/F	Professional .	
	Tax/Income Tax.		
6.	(a) The Type of weights and measures	repaired	
	as per license granted.		
	(b) Do you propose any change.		
7.	Details of repair works done in the last 5	years.	
8.	Area in which you are operating.		
9.	Have you sufficient stock of loan/test we	•	
10.	Please give details with particulars of s	tamping	
	To be certified	by the applicant	(s)
	Certified that I/We have read the St.	andards of Weigh	ts and Measures Act 1976 the
of We	ards of Weights and Measures (Enforceneights and Measures (Enforcement) Rules histrative orders and instructions issued or	nent) Act, 1985 and agree to	d the Madhya Pradesh Standards o abide by the same and also the
	I/We have deposited the Scheduled		
) to the Sub-Treasury/	Bank on	and the
origin	al challan is enclosed.	true to the best of	my/our knowlodge
Dlag-	All the information furnished above is	u ue to the best of r	ny/our knowledge.
Place			
Date	Signature and Designation		

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-

SCHEDULE VB

[See rule 12 (2)]

Form LD-2*

[Application for renewal License as Dealer in Weights, Measures under the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act. 1985]

To be filled by

Comments of the

		the applicants	inspecting officer
	1	2	3
1.	Name of the establishment/shop/person secrenewal of license.	eking the	
2.	Dealer's License Number.		
3.	Date of establishment.		
4.	Name (s) and address (s) along with their f husband's name of proprietor (s) and/or Pa		
	Managing Director (s) in the case of Limit	ed company.	
5.	Registration Number and date of shop/esta current Municipal Trade License.	blishment/	
6.	Categories of weights and measures sold a	t present.	
7.	Registration Number of CST/Sales Tax/Pro Tax/Income Tax.	ofessional	
8.	Details of sales done in the last 5 years.		
9.	Are you intending to import weights and n from places outside the State/Country? If		
	sources of supply from the State (s)/Count	ry (s).	
	(Give details of manufacturer's trade mark)	monogram /	
	and his license number.)		
	To be certified by	y the applican	t (s)
of W adm	Certified that I/We have read the Star dards of Weights and Measures (Enforceme /eights and Measures (Enforcement) Rules, inistrative orders and instructions issued or to I/We have deposited the Scheduled) to the Sub-Treasury/B	ent) Act, 1985 ar 1989 and agree to be issued there license fees of	nd the Madhya Pradesh Standards to abide by the same and also the under. f Rs (Rupees
	inal challan is enclosed.		
_	All the information furnished above is tr	ue to the best of	my/our knowledge.
Plac	e :		
Date	:		Signature and Designation."
* S	ubstituted vide amendment dated 17-3-0	05 published in	the gazette of M.P.dated 1-4-

SCHEDULE VI

[See rule 12 (3)]

Licensing Forms

FORM LM-3

Government of Madhya Pradesh

OFFICE OF THE CONTROLLER OF LEGAL METROLOGY

License to manufacture, weights, measures, weighing instruments or measuring

msuun	nents.
Licens	e No
1-	The Controller of Legal metrology hereby grants to
	(Name and address of party of parties) a license to manufacture the following:-
	(Include details of the weights, measures, weighting instruments or measuring
	instruments that are licensed to be manufactured by the party).
2-	The license is valid for the party named above in respect of his workshop located
	at
3-	This license is valid from to 31 st December,19
4-	The manufacturer shall comply with the conditions noted below. If he fails to
	comply with anyone of these, his license is liable to be cancelled.
5-	The trade mark monogram being used by the manufacturer is as under.
	(Signature)
	Controller of legal Metrology
(Seal)	Madhya Pradesh
Date	
Place .	
Note:	In the case of firm, its name with the names of all name of all persons having
	interest in the business should be given in paragraph 1.
	CONDITIONS OF LICENSE *
1.	The person in whose favour this license is issued shall
	(a) Comply with all the relevant provisions of the Act and Rules for the time being in

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-

- (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act. or the Rules for the time being in force;
 - (c) Exithibit this license in some conspicuous part of the premises to which it relates;
 - (d) Comply with any general or special directions that may be given by the Controller of legal metrology;
 - (e) Surrender the license in the event of closure of business and/or cancellation of License;
 - (f) Present the weights, measures, weighing or measuring instruments as the case may be manufactured and meant for use within the State, to the Inspector for verification and stamping before sale;
 - (g) Present the weights, measures, weighing or measuring instruments as the case may be manufactured and meant for use outside the State and covered under the First Schedule of the Inter State Verification and Stamping Rules, 1987 to the Inspector for verification and stamping before sale; and
 - (h) Submit the application for renewal of this lincence, as required under the rules before at least thirty days of the date of expiry of the validity of the license.
 - 2. Every condition prescribed after the issue of this license shall if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the license has been granted.

Renewal entries

Current No Date		Current No Date
Renewed for]	Renewed for
Seal		Seal
Controller		Controller
of Legal Metro	logy	of Legal Metrology
Current No Date		Current No Date
Renewed for]	Renewed for
Seal		Seal
Controller		Controller
of Legal Metro	logy	of Legal Metrology
Current No Date		Current No Date
Renewed for]	Renewed for
Seal		Seal
Controller	-	Controller
of Legal Metro	logy	of Legal Metrology

SCHEDULE VI

[See rule 12 (3)] Licensing Forms

FORM LR-3

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH OFFICE OF THE CONTROLLER OF LEGAL METROLOGY LICENSE TO REPAIR WEIGHTS, MEASURES, WEIGHING INSTRUMENTS OR MEASURING INSTRUMENTS

Year

License No

1-	The Controller of legal metrology hereby grants to
	(Name and address of Party of Parties) a license to repair the following:-
	(Include details of the types of weights, measures, weighing instruments or
	measuring instruments that are licensed to be repaired by the party)
2-	The license is valid for the party named above in respect of his workshop located
	at
3-	This license is valid from to 31 st December, 19
4-	The repairer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply
	with any one, his license is liable to be cancelled.
5-	The party is licensed to repair weights, measures, weighting and measuring
	instruments in the areas oned below -
	(Signature)
	Controller of Legal Metrology
	(Seal) Madhya Pradesh

Note: In the case of firm, its name with the names of all persons having any interest in the business should be given in paragraph (1).

CONDITIONS OF LICENSE *

- 1. The person in whose favour this license is issued shall. -
 - (a) Comply with all the relevant provisions of the Act and Rules for the time being in force;
 - (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act. or the Rules for the time being in force;
 - (c) Exithibit this license in some conspicuous part of the premises to which it relates;
 - (d) Comply with any general or special directions that may be given by the Controller of legal metrology;
 - (e) Surrender the license in the event of closure of business and/or cancellation of License;
 - (f) (i) Present the weights, measures, weighing or measuring instruments as the case may be duly repaired to the Inspector for under taking verification and stamping as specified in rule 14(1), before delivery to the user.
 - (ii) In the case of weights, measures weighing or measuring instruments, if they are serviced/repaired before the date on which the verification falls due and where, in the process and the verification stamp of the Inspector is defaced, removed or broken, they shall be presented duly repaired to the Inspector for re-verification and stamping before delivery to the user.
 - (g) Submit the application for renewal of this lincence, as required under the rules before at least thirty days of the date of expiry of the validity of the license.
 - 2. Every condition prescribed after the issue of this license shall, if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the license has been granted."

Renewal Entries

Current No Date	Current No Date
Renewed for	Renewed for
Seal	Seal
Controller	Controller
of Legal Metrology	of Legal Metrology
Current No Date	Current No Date
Renewed for	Renewed for
Seal	Seal
Controller of Legal Metrology	Controller of Legal Metrology

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-

Schedule VI

[See rule 12 (3)]

Licensing form

FORM – LD- 3

Government of Madhya Pradesh

Office of the controller of legal metrology Madhya Pradesh License is a dealer in weights, measures, weighing instruments or measuring instruments

Licer	nse No	Year
1-	The controller of legal metrology her	reby grants to
	(Name and address of party or partic	es) a license to deal in the following (Indicate
	details of the types weights and mea	sures, weights, or measuring instruments that
	are licensed to be dealt with by party)
2-	The license is valid for the party nam	ned above in respect of his premises located at
3-	This license is valid form	To 31st December, 19
4-	The dealer shall comply with the c	onditions noted below. If he fails to comply
	with any one of those his license is li	able to be cancelled.
	(Seal)	(Signature)
Date .		Controller of
Place.		Legal Metrology
		Madhya Pradesh

Note: In the case of firm its name with the names of all persons having any interest in the business should be given in paragraph (1).

CONDITIONS OF LICENSE *

- 1. The person in whose favour this license is issued shall. -
 - (a) Comply with all the relevant provisions of the Act and Rules for the time being in force;

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-

- (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act. or the Rules for the time being in force;
 - (c) Exhibit this license in some conspicuous part of the premises to which it relates;
 - (d) Comply with any general or special directions that may be given by the Controller of legal metrology;
 - (e) Surrender the license in the event of closure of business and/or cancellation of License;
 - (f) Submit the application for renewal of this license as required under the rules before at least thirty days of expiry of the validity of the license.
 - (g) Not sell or offer, expose or possess for sale any non-standard weight or measure.
 - 2. Every condition prescribed after the issue of this license shall, if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the license has been granted."

Renewal Entries

Current No Date	Current No Date
Renewed for	Renewed for
Seal Controller of Legal Metrology	Seal Controller of Legal Metrology
Current No Date	Current No Date
Renewed for	Renewed for
Seal Controller of Legal Metrology	Seal Controller of Legal Metrology
Current No Date	Current No Date
Renewed for Seal	Renewed for Seal
Controller of Legal Metrology	Controller of Legal Metrology

SCHEDULE - VII *

[See rule -12(5)]

Licencing and renewal fees for manufacturers, repairers of dealers or weights and measures

Manufacturers Rs. 500/- per year
Repairers Rs. 100/- per year
Dealers Rs. 100/- per year

SCHEDULE - VII-A **

[See rule -12(5A)]

Fee for the alteration of license Rs. 50.

Fee for the issue of duplicate license Rs. 10.

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-05

^{**} Inserted vide amendment dated 1-5-96 published in the gazette of M.P.dated 15-5-96

SCHEDULE-VIII

[See rule 12 (6), (7)]

Government of Madhya Pradesh

Office of Controller of legal metrology

Register of licensed manufacturers/ Repairers/ Dealers is weights, measures, weighing instruments/ measuring instruments

Office	αf															
OTHICE	\mathbf{O}	_	 	-	_	_	_		_	_	_	_	_			

Lice	Date	Name	Place	Articles	Trade	Orders	Res	Signat	Re
nse	of	and	where	to be	mark/	regardi	ult	ure of	m
Num	issue	complet	works	manufact	monog	ng	of	compe	Ar
ber	/	e	hop/	ured/	ram	cancell	app	tent	k
	rene	address	factor	repaired	being	ation of	eal	authori	
	wal	of the	y is	sold	used	license		ty	
		manufac	situate						
		turer	d						
		/repairer							
		/ dealer							
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11

Note: Column (4) does not apply to dealers, column (6) does not apply to repairers and dealers.

SCHEDULE IX *

[See rule 12(7)]

Security deposit to be made by licensee repairer

Repairer of weights and measures excluding weighing
and measuring instruments

Repairer of weights and measures including weighing
Rs. 2500.00

Rs. 5000.00

and measuring instruments.

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-05

SCHEDULE - X

[See rule 13 (1)]

Government of Madhya Pradesh

Office of the controller, legal metrology, Madhya Pradesh

Register to be maintained by the manufacturers of weights and measurers.

1-	Nar	ne and addre	ess of the ma	nufacturer					
2-	Description of the weight or measure								
3-	(i) 1	No. of the ma	anufacturing	license					
	(ii)	Date on whi	ch the licens	e was issued					
	(i)	Period o	f validity of	the license					
4-	Par	ticulars of or	der, if any, s	suspending or rev	voking				
	the	license.							
S.N	0.	Month	Unsold	Quantity	Total 3+4	Sold within the state			
			stools	manufacturad					

S.No.	Month	Unsold	Quantity	Total 3+4	Sold withi	n the state
		stock	manufactured			
		from	during the		21 0	D
		previous	month		No. of	Dispatch
		month			item sold	voucher
		month				no. and
						date
1	2	3	4	5	6	7

Sold ou	Sold outside the		Total sold	Balance	Remarks
state		voucher	(6+9)	(5+11)	
Name of	No. of	no. and			
the state	items	date			
	sold				
8	9	10	11	12	13

Schedule-X

[See rule 13 (1)]

Form LR-4

Government of Madhya Pradesh

Office of the controller legal metrology Madhya Pradesh Register to be maintained by the repairer in respect of weights, Measures

Name and address of the repairer		License No
	Date o	of Licensing

S.No.	Date	Name of he user	Items and their Nos.	Receipt No. and
		from whom	booked for repair	date of issue to
		received		the user
1	2	3	4	5

Amount of	Amount of	Total amount	Date of return	Remarks
repairing	verification	charged	to the user	
charges	fee			
6	7	8	9	10

Schedule – X

[See rule 13 (1)]

Government of Madhya Pradesh

Office of the controller, legal metrology, Madhya Pradesh

Register to be maintained by dealer in weights and measures.

1-	Name and address of the dealer
2-	Description of the weight or measure
3-	(i) Dealer license No.
	(ii) Date on which the license was issued
	(iii) Period of validity of license
4-	Particulars of order, if any suspending or
	Revoking the license.
5-	Category of weight or measure
	(Category A or B)

Sr.	Month	Unsold stock	Brought from	Brought from	Total
No.		from the	within the state	outside the	(3+4+5)
		previous	during the	state during	
		month	month	the month	
1	2	3	4	5	6

Sold within the		Sold outside the state			Total	Balance	Remarks
state					sold		
No. of	Dispatch	No. of	Dispatch	Name	1		
items	voucher	items	voucher	of the			
sold	no. and	sold	No. and	state			
	date		date				
7	8	9	10	11	12	13	14

Schedule - XI

[See rule 16 (3)]

Government of Madhya Pradesh

Office of the Controller, legal metrology, Madhya Pradesh

Certificate of verification

Name of Inspector	No
I hereby certify that I have this day verified	and stamped the under mentioned weights,
measurers, etc.	rejected
Belonging to	. Locality
Registration No. as user	under the above Act.

Quantity	Denon	nination	Weighing instruments			Measuring	Verifica	tion	Carriage,	
	Weights	Measures	Capacity	Class	Manufacturer	Type	instruments	Fee		conveyance
										adjusting
								Rs.	p	charges etc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10

Total Rs deposited vide T. Receipt/ Money receipt .No dated					
Repaired by					
(Signature)					
Next verification due on	Inspector				
Note:- In the case of rejected weights, measures, etc the Inspector shall give separate					
Certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.*					

^{*} Inserted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-05

Schedule-XII*

[See Rule 17 (1)]

Fee payable for verification and Stamping of Weights and Measures and Weighing and Measuring Instruments

1- Weights:

(a) Bullion Weights	Revised Rates Fee per piece (Rs.)
Denomination	
(1)	(2)
20 Kg.	20.00
10 Kg.	20.00
5 Kg.	15.00
2 Kg.	15.00
1 Kg.	15.00
500 g.	10.00
200 g.	10.00
100 g.	10.00
50 g.	10.00
20 g.	10.00
10 g.	10.00
5 g.	10.00
2 g.	10.00
1 g.	10.00
500 mg.	10.00
200 mg.	10.00
100 mg.	10.00
50 mg.	10.00
20 mg.	10.00
10 mg.	10.00
5 mg.	10.00
2 mg.	10.00
1 mg.	10.00

^{*} Substituted vide amendment dated 12-11-99 published in the gazette of M.P.dated 10-12-99

(b) Brass Weights (other than Bullion)

1 kg.	3.00
500 g.	3.00
200 g.	3.00
100 g.	3.00
50 g.	3.00
20 g.	3.00
10 g.	3.00
5 g.	3.00
2 g.	3.00
1 g.	3.00

(c) Sheet metal Weight (other than Bullion)

500 mg.	3.00
200 mg.	3.00
100 mg.	3.00
50 mg.	3.00
20 mg.	3.00
10 mg.	3.00
5 mg.	3.00
2 mg.	3.00
1 mg.	3.00

(d) Iron and Steel Weights:

50 Kg.	10.00
20 Kg.	10.00
10 Kg.	10.00
5 Kg.	10.00
2 Kg.	10.00
1 Kg.	10.00
500 g.	3.00
200 g.	3.00

100 g.	3.00
50 g.	3.00

(e) Carat Weights:

500 c	10.00
200 с	10.00
100 c	10.00
50 c	10.00
20 с	10.00
10 c	10.00
5 c	10.00
2 c	10.00
1 c	10.00
50/100 c	10.00
20/100 c	10.00
10/100 c	10.00
2/100 c	10.00
1/100 c	10.00
0.5/100 c	10.00

2- Capacity Measures:

100 litre and above	Rs. 20 for the Ist 100 litre plus Rs. 5 for
	every additional 100 litre or part thereof
	subject to maximum of Rs. 5000.
50 1	20.00
201	10.00
101	10.00
5 1	5.00
2 1	5.00
11	5.00
500 ml	5.00
200 ml	5.00

100 ml	5.00
50 ml	5.00
20 ml	5.00
10 ml	3.00
5 ml	3.00
2 ml	3.00
1 ml	3.00
18.5 1	Omit

3- Length Measures:

(a) Non-Flexible -

2 m.	5.00
1 m.	5.00
0.5 m.	5.00
1 m. graduated (at every cm.)	10.00
0.5 m. graduated (at every cm.)	10.00

(b) Fabric Plastic -

10 m. and above	Rs. 6 for the Ist 10 meters plus Rs. 2 for
	every additional 5 meter.
5 m.	5.00
3 m.	5.00
2 m.	5.00
1.5 m.	5.00
1 m.	5.00
0.5 m.	5.00

(c) Woven -

50 m.	Rs. 10 for the Ist 10 meters plus Rs. 5 for
	every additional 5 meters.
30 m.	-do-
20 m.	-do-
15 m.	-do-

10 m.	-do-
5 m.	5.00
2 m.	5.00

(d) Steel tapes -

50 m.	Rs. 10 for the 1 st 10 meters plus Rs. 5.00	
	for every additional 5 meters.	
30 m.	-do-	
20 m.	-do-	
10 m.	-do-	
5 m.	5.00	
3 m.	5.00	
2 m.	5.00	
1 m.	5.00	
1.5 m.	5.00	
1 m.	5.00	
0.5 m.	5.00	

(e) Folding Scales -

1 m.	5.00
0.5 m.	5.00

(f) Surveying Chain -

30 m.	30.00
20 m.	30.00

4- Non-Automatic weighing Instruments, mechanical (analogue indication) belonging to ordinary and medium accuracy class:

400 t	2000.00
300 t	1500.00
200 t	1500.00

150 t	1000.00
100 t	1000.00
80 t	1000.00
60 t	1000.00
50 t	1000.00
40 t	1000.00
30 t	1000.00
20 t	1000.00
15 t	1000.00
10 t	500.00
5 t	250.00
3 t	200.00
2 t	200.00
1500 kg	150.00
1000 kg	150.00
500 kg	150.00
300 kg	100.00
250 kg	100.00
200 kg	50.00
150 kg	50.00
100 kg	50.00
50 kg	50.00
30 kg	50.00
25 kg	30.00
20 kg	30.00
15 kg	20.00
10 kg	20.00
5 kg	20.00
3 kg	20.00
2 kg	20.00
1 kg	20.00
500 g. and below	10.00

Person weighing machine excluding bath	100.00
room scales.	

5- Beam Scale Class A & B:

200 kg.	200.00
100 kg.	150.00
50 kg.	120.00
20 kg.	120.00
10 kg.	100.00
5 kg.	80.00
2 kg.	80.00
1 kg.	80.00
500 g and below	50.00

6- Beam Scales Class C& D:

1000 kg.	100.00
500 kg	100.00
300 kg	100.00
200 kg	50.00
100 kg	50.00
50 kg	15.00
20 kg	15.00
10 kg	15.00
5 kg	10.00
2 kg	10.00
1 kg	10.00
500 g and below	5.00

7- Weighing instruments, of high accuracy class and special accuracy both mechanical and electronics:

Exceeding 50 t.	1500.00
Not exceed 50 t	1000.00
but exceed 10 t	1000.00

Not exceed 10 t	500.00
but exceed 1 t	500.00
Not exceed 1 t	300.00
but exceed 50 kg	300.00
Not exceed 50 kg	200.00
but exceed 10 kg	200.00
Not exceed 10 kg	120.00

8- Automatic Weighing Machine:

Exceeding 10 t	1000.00
Not exceed 10 t	500.00
but exceed 1 t	500.00
Not exceed1 t	250.00
but exceed 50 kg	250.00
Not exceed 50 kg	150.00
but exceed 10 kg	150.00
Not exceed 10 kg	100.00

9- Totalizing Machine:

(a) Independent Machine : 1000.00(b) AS additional machine : 500.00

10- Volumetric measuring instruments :

(a) Dispending pumps : 500.00

each pumps

(b) Totalizing counters : 250.00

(c) Other instruments : Rs. 250 for the 1st 100 liters plus Rs. 150

exceeding 100 litres. for every additional 100 liters or part

there of subject to maximum of Rs.

5000.00

 Not exceed
 100 l
 200.00

 but exceed
 50 liter
 200.00

 Not exceed
 50 l.
 150.00

 but exceed
 20 l.
 150.00

Not exceed 2	20 1.	100.00
--------------	-------	--------

11- Flow meters:

Flow rate upto 100 liters/ min. 1000.00 Above 100 liter but upto 2000.00

500 liters/ min.

Above 500 l/min. 5000.00

12- Linear Measuring Instruments:

Taxi, Autorishaw meters 50.00

Other Instruments Rs. 25 for the 1st 1000 m. or part

there of plus Rs. 5.00 for every

additional 100 m. or part thereof subject

maximum of Rs. 150.00

13- Clinical Thermometer	2.00
--------------------------	------

14- Water meter 25.00

15- Electricity meter Omit

16- Kitchen Scale:

500g. 10.00 1 kg. 10.00 2 kg. 10.00 5 kg. 10.00 10 kg. 10.00

17- Tubular balance:

1 kg.	10.00
5 kg.	10.00
10 kg.	10.00
20 kg.	10.00
50 kg.	10.00

18- Bathroom Scales:

weighing Scales

120 kg. and above 50.00

19- Baby cum child 20.00

20- Peg Measure:

30 ml	20.00
60 ml	20.00
100 ml	20.00

21- Electronic Weighing instrument medium and ordinary accuracy:

400 t	2000.00
300 t	1500.00
200t	1500.00
150 t	1000.00
100 t	1000.00
80 t	1000.00
60 t	1000.00
50 t	1000.00
40 t	1000.00
30 t	1000.00
25 t	1000.00
20 t	1000.00
15 t	1000.00
10 t	250.00
5 t	250.00
3 t	200.00
2 t	200.00
1500 kg	150.00
1000 kg	150.00
500 kg	150.00
300 kg	100.00
250 kg	100.00

200 kg	100.00
150 kg	100.00
100 kg	100.00
50 kg	100.00
30 kg	100.00
25 kg	100.00
20 kg	50.00
15 kg	50.00
10 kg	50.00
5 kg	50.00
3 kg	50.00
2 kg	50.00
1 kg	50.00
500 g. and below	50.00

SCHEDULE -XIII*

[See rule 25(1)]

Form of appeal against an order of an Inspector/Assistant Controller/Deputy Controller/Controller:-

- 1- Name and address of the appellant
- 2- No. and date of order of Inspector / Assistant Controller / Deputy Controller / Controller of Legal Metrology against which the appeal is preferred.
- 3- Whether the appellant desires to be heard in person or through an authorized representative.
- 4- Grounds of appeal

^{*} Substituted vide amendment dated 17-3-05 published in the gazette of M.P.dated 1-4-05

कमांक 513 -(7) शा -8-89 मध्यप्रदेश माप और मानक(प्रवर्तन) नियम 1989 के नियम 1 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, तारीख 1 मई 1989 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको की उक्त नियमों के समस्त उपबंध संपूर्ण मध्यप्रदेश में समस्त वर्गों के कियाकलापों के लिए लागू होगें ।

कमांक 513 (7) —शा—8—89— बांट और माप मानक (प्रवर्तन)अधिनियम 1985 (1985 का, सं, 54) की धारा 72 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार,भारत सरकार से परामर्श करके एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 9 फरवरी 1989 में पूर्व में ही प्रकाशित किए जा चुके है। अर्थात —

मध्यप्रदेश बांट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम 1989 रु

रु मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 12 अप्रेल 1989 में प्रकाशित

- 1 संक्षिप्त नाम और प्रांरभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश बांट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 1989 है
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है
- (3) ये उस तारीख को प्रवत होगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें और-
- (क) इन नियमों के विभिन्न उपवंधो के लिये , या
- (ख) विभिन्न क्षेत्रो के लिए , या
- ' विलोपित

' संशोधन दिनांक 17–3–05 द्वारा विलोपित जो कि म प्र राजपत्र दिनांक 01–4–05 में प्रकाशित

विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी

- 2 परिभाषाएं :- इन नियमों मे जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो :-
- (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बांट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम 1985
- (ख) ''निर्देश मानक प्रयोगशाला'' से अभिप्रेत है मानक अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रयोगशाला, जहां निर्देश मानक और द्वितीयक मानक बनाए रखे जाते हैं
- (ग) ''अनुसुची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची
- (ध) ''मानक अधिनियम'' से अभिप्रेत है बांट और माप मानक अधिनियम 1976

(ड) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम और मानक अधिनियम और उनके अधीन बनाये नियमों में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगें जो उन अधिनियमों और नियमों में उनके लिए क्रमशः दिये गये है।'

संशोधन दिनांक 17–3–05 द्वारा संशोधित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 01–4–05 में प्रकाशित

- 3 निर्देश मानक :- निर्देश मानक ऐसे स्थान में, ऐसी रीति में और ऐसी अभिरक्षा में रखे जाएगें जो मानक अधिनियम के अधीन विहित की जाए
- 4 द्वितीय मानक: (1) प्रत्येक द्वितीयक मानक किसी भी निर्देश मानक प्रयोगशाला में ऐसी रीति में और ऐसी नियतकालिक अन्तरालों पर जो मानक अधिनियम के अधीन विहित किए गए, सत्यापित किया जाएगा और यदि व उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियत मानकों के अनुसार पाया जाता है तो वह निर्देश मानक प्रयोगशालाओं के भार साधक द्वारा स्टाम्पित किया जाएगा
- (2) सत्यापित द्वितीयक मानक ऐसे स्थान में और ऐसी अभिरक्षा में रखे जायेगें जैसा नियंत्रक निर्देश दे
- 5 कार्यकारी मानक :— (1) प्रत्येक कार्यकारी मानक किसी भी निर्देश मानक प्रयोगशाला में या किसी भी ऐसे स्थान में जहां द्वितीयक मानक राज्य सरकार द्वारा बनाए रखे जाते हैं , ऐसी रीति में और ऐसे नियतकालिक अन्तरालों पर जो , मानक अधिनियम के अधीन विहित किए जाऐ सत्यापित किया जाएगा और यदि वह उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियत मानकों के अनुरूप पाया जाता है तो यथास्थिती , निर्देश मानक प्रयोग शाला के भारसाधक द्वारा या नियंत्रक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो नियंत्रक द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत किया जाए स्टाम्पित किया जाएगा
- (2) सत्यापित कार्यकारी मानक निरीक्षकों की अभिरक्षा में रखे जाएगें .
- 6 द्वितीयक मानक तुलाए :- (1) द्वितीयक मानक तुलाओं का एक सेट प्रत्येक ऐसे स्थान पर बनाये रखे जाएगा जहां द्वितीयक मानक बांट रखे जाते है ।
- (2) ऐसी तुलाओ की संख्या , किस्मे और विनिर्देश ऐसे होगें जो मानक अधिनियम द्वारा विहित किया जाए
- (3) प्रत्येक द्वितीयक मानक तुला चौबीस मास की कालावधि के भीतर कम से कम एक बार सत्यापित की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो मानक अधिनियम के अधीन विहित सुग्राहिता

सीमाओं और अन्य मापकीय विशेषताओं के भीतर सही करने के लिये उसको निर्देश मानक प्रयोगशाला के प्रयोगशाला भार साधक द्वारा या नियंत्रक द्वारा, या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक विधिक माप विज्ञान की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो जो नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, समायोजित किया जाएगा। '

' संशोधन दिनांक 17–3–05 द्वारा संशोधित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 01–4–05 में प्रकाशित

- 7 कार्यकारी मानक तुलाए :- (1) कार्यकारी मानक तुलाओं का एक सेट ऐसे प्रत्येक स्थान पर बनाए रखा जाएगा जहां कार्यकारी मानक बांट रखे जाते है ।
- (2) ऐसी तुलाओं की संख्या , किस्मे और विनिर्देश ऐसे होगें जो मानक अधिनियम द्वारा विहित किया जाए
- (3) प्रत्येक कार्यकारी मानक तुला बारह मास की कालाविध के भीतर कम से कम एक बार सत्यापित की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो उसे मानक अिधनियम के अधीन विहित सुग्राहिता सीमाओं और अन्य मापकीय विशेषताओं के भीतर सही करने के लिये उसको निर्देश मानक प्रयोगशाला के प्रयोगशाला भारसाधक द्वारा या नियंत्रक द्वारा, या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक विधिक माप विज्ञान की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो जो नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, समायोजित किया जाएगा। '
- ' संशोधन दिनांक 17–3–05 द्वारा संशोधित जो कि म प्र. राजपत्र दिनांक 01–4–05 में प्रकाशित
- 8 बांट और माप के भौतिक लक्षण आकृति संरचनात्मक ब्यौरे :— प्रत्येक ऐसा बांट या माप जिसका किसी संव्यवहार में या औधोगिक उत्पादन के लिए या संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है या जो ऐसा उपयोग किया जाने के लिये आशयित है भौतिक लक्षणो आकृति संरचनात्मक ब्यौरों , सामग्री कार्यशीलता ,सहायता और ऐसी ही अन्य ब्यौरों के विषय मे मानक अधिनियम के अधीन विहित विनिदेशों के अनुरूप होगा .
- 9 बुलियन बांटों , केरेट बांटों आदि का उपयोग :— (1) बुलियन बांट से भिन्न किसी बांट का बुलियन के जिसके अर्न्तगत बहुमूल्य धातु मोती और आभुषण और स्वर्ण या रजत का अन्य वस्तुए भी हैं , किसी संव्यवहार में उपयोग नहीं किया जाएगा
- (2) केरेट बांट से भिन्न किसी बांट या बहुमूल्य रत्नों के किसी संव्यवहार में उपयोग नहीं किया जाएगा
- (3) "क" या "ख" वर्ग की डण्डी वाली तराजू या उच्च शुद्धता वर्ग (वर्ग प्) या विशेष शुद्धता वर्ग (वर्ग प्) के गैर—स्वचलित तौल उपकरण से भिन्न किसी डण्डीवाली तराजू या तौल उपकरण का, उप नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार में उपयोग नहीं किया जाएगा। '

संशोधन दिनांक 17–3–05 द्वारा संशोधित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 01–4–05 में प्रकाशित

' विलोपित

' संशोधन दिनांक 17—3—05 द्वारा विलोपित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 01—4—05 में प्रकाशित

- 11 कितपय मामलो में केवल बांटो या केवल संख्याओं का उपयोग :— अनुसूचि 4 में विनिदिष्ट वस्तुओं की दशा में के सिवाय प्रत्येक संव्यवहार, व्यवहार या संविदा में , या औद्यौगिक उत्पादन के लिए या संरक्षण के लिए मात्रा की घोषणा :—
- (क) यदि वस्तु ठोस, विसकोस या ठोस और द्रव का मिश्रण है तो वजन की इकाई के रूप में होगी
- (ख) यदि वस्तु का रेखिय माप द्वारा विक्य किया जाता है तो लम्वाई के रूप में होगी,
- (ग) यदि वस्तु का क्षेत्रिय माप द्वारा विक्रय किया जाता है तो क्षेत्र की इकाई के रूप में होगी
- (ध) यदि वस्तु द्रव है या उसका विक्रय घनीय माप द्वारा किया जाता है ता आयतन की इकाई के रूप में होगी , या
- (ड) यदि वस्तु का विक्रय संख्या में किया जाता है तो संख्या की इकाई के रूप में होगी
- 12 बांट और माप विनिर्माताओं, मिस्त्रीयों और व्यवहारियों का अनुज्ञापन :— (1) बांट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मिस्त्री या व्यवहारी अनुज्ञप्ति देने के लिये आवेदन नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी को ,जो उसके द्वारा इस निमित्त किया जाए, अनुसूची 5—क में उपवर्णित समुचित प्ररूप में करेगा
- (2) बाँट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मिस्त्री या व्यवहारी (डीलर) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले, नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो

उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए, अनुसूची—5—ख में उपवर्णित समुचित प्ररूप में आवेदन करेगा। '

- ' संशोधन दिनांक 17—3—05 द्वारा संशोधित जो कि म प्रा राजपत्र दिनांक 01—4—05 में प्रकाशित
- (3) किसी विनिर्माता, मिस्त्री या, व्यवहारी को जारी की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति अनुसूची 6 में उपवर्णित समुचित प्ररूप में होगी
- (4) किसी विनिर्माता, मिस्त्री या व्यवहारी को जारी की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, एक कलेण्डर वर्ष की कालाविध के लिए विधिमान्य होगी और नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो उसके द्वारा

इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए अनुसूची—सात में विनिर्दिष्ट फीस के पांच गुना फीस का भुगतान किये जाने पर पांच वर्ष की कालावधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी। '

- ' संशोधन दिनांक 17–3–05 द्वारा संशोधित जो कि म प्र_ राजपत्र दिनांक 01–4–05 में प्रकाशित
- (5) उप नियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति के लिये देय फीस वह होगी, जैसी कि अनुसूची—7 में विनिर्दिष्ट की गई है, परन्तु अनुसूची—7 में विनिर्दिष्ट दर की पूर्ण दर पर अतिरिक्त फीस आवेदक द्वारा देय होगी, यदि उसे अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की कालाविध की समाप्ति की तारीख से तीस दिन की कालाविध के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए नियंत्रक द्वारा अनुज्ञात किया जाता है। '
- ' संशोधन दिनांक 17—3—05 द्वारा संशोधित जो कि म प्र राजपत्र दिनांक 01—4—05 में प्रकाशित
- (5 क) अनुज्ञप्ति में परिवर्तन करने या अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिये फीस अनुसूची 7-क में विनिदिष्ट किये अनुसार देय होगी. '
- ' संशोधन दिनांक 1–5–96 द्वारा संशोधित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 15–5–96 में प्रकाशित
- (6) नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी , जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञप्ति प्राप्त विनिर्माताओं, मिस्त्रयों और व्यवहारियों का एक रिजस्टर अनुसूची —8 में दिए गए प्रारूप में रखेगा
- (7) अधिनियम और इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक मिस्त्री :- (क) ऐसे उपस्कर और औजार बनाए रखने की अपेक्षा की जायगी , जैसा नियंत्रक निर्देश दे , और
- (ख) ऐसी अनुज्ञप्ति के लिये राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति निक्षेप देगा जैसा अनुसूची 9 में विनिदिष्ट है
- (8) अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन जिन बांटो या मापो का नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित मे प्रधिकृत किसी अन्य अधिकारी ने अभिग्रंहण किया है विक्रय किया जाएगा और उनके आगम सरकार को जमा किए जाएगे.
- (9) नियंत्रक या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किसी विनिर्माता, मिस्त्री या व्यवहारी को अनुज्ञप्ति विहित मानदण्डों तथा प्रक्रिया के अनुसार जारी की जा सकेगी। ,
 - ' संशोधन दिनांक 17—3—05 द्वारा संशोधित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 01—4—05 में प्रकाशित

- 13 विनिर्माताओं आदि द्वारा अभिलेख का रखा जाना :— (1) अधिनियम और इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त बांट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मिस्त्री या व्यवहारी अनुसूची 10 में दिए गए समुचित प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा
- ' विलोपित
- ' संशोधन दिनांक 17—3—05 द्वारा विलोपित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 01—4—05 में प्रकाशित
- (2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी संव्यवहार में या औधौगिक उत्पादन के लिए या संरक्षण के लिए किसी बांट या माप का उपयोग कर रहा है ऐसे अभिलेख और रजिस्टर रखेगा जैसा नियंत्रक निर्देश दे.
- 14 बांटो और मापों के सत्यापन के लिए नियतकालिक अंतराल :— (1) प्रत्येक ऐसा बाँट या माप, जिसका किसी संव्यवहार में या औद्योगिक उत्पादन के लिये या संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है, 12 मास में कम से कम एक बार सत्यापित किया जाएगा। पूनः सत्यापन तथा स्टाम्पन अगले वर्ष की उसी तिमाही में किया जाएगा:

परन्तु भंडारकरण टैंक जिनके अन्तर्गत कुण्ड भी है पांच वर्ष की कालाविध में कम से कम एक बार पुनः सत्यापित या पुनः अशांकित और स्टाम्पित किए जाएंगें :

परन्तु यह और कि बाँट, जिनके अन्तर्गत बुलियन तथा केरेट बाँट भी हैं, चौबीस मास की कालाविध में एक बार पुनः सत्यापित तथा स्टाम्पित किए जायेंगे।

परन्तु यह और भी कि डंडी वाली तराजू, काउण्टर मशीन तथा तरल मापधारिता (डुबाने वाले माप, उड़ेलने वाले माप एवं शंकु आकार माप) 24 मास की कालाविध में एक बार पुनः सत्यापित एवं स्टाम्पित किये जायेंगें। '

' संशोधन दिनांक 17–3–05 द्वारा संशोधित जो कि म प्र राजपत्र दिनांक 01–4–05 में प्रकाशित

- (2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक, ऐसा बांट या माप जो यथावत सत्यापित और स्टाम्पित हो गया है, यदि वह खोल दिया जाता है और उस तारीख से पहले जिसको उसका सत्यापन किया जाना है पुनः संस्थापित कर दिया जाता है तो उसे उपयोग में लाये जाने से पूर्व विहित फीस का संदाय किए जाने पर सम्यक रूप से पुनः सत्यापित और स्टाम्पित किए जाएगा
- (3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी ,प्रत्येक ऐसा बांट या माप जो सत्यापित और स्टाम्पित हो गया है, यदि उसकी उस तारीख से पहले जिसको उसका सत्यापन अपेक्षित है ,

मरम्मत की जाती है तो उसके उपयोग में लाए जाने से पूर्व विहित फीस का संदाय किए जाने पर सम्यक रूप से पुनः सत्यापित और स्टाम्पित किए जाएगा

15 बांटो या मापों का सत्यापन और निरीक्षण :— (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति ,जो किसी बांट या माप का किसी संव्यवहार मे या औधौगिक उत्पादन के लिए सा संरक्षण के लिए उपयोग कर रहा है , ऐसे बांट या माप को सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए निरीक्षक के कार्यालय मे या ऐसे किसी अनय स्थान मे जिसे निरीक्षक इस निमित्त विनिदिष्ट करें, उस तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा जिसको सत्यापन अपेंक्षित है :

परंतु जहां कोई बांट या माप ऐसा है कि उसे उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता या हटाना नहीं चाहिए, वहां वह व्यक्ति जो ऐसे बांट या माप का उपयोग कर रहा है, उस तारीख से, जिसको सत्यापन अपेक्षित है, कम से कम तीस दिन पहले निरीक्षक को रिपोर्ट करेगा

- (2) जहां कोई बांट या माप ऐसा है कि उसे उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता या हटाना या हटाना नहीं चाहिए ,वहां निरीक्षक ऐसे बांट या माप की अवस्थिति के स्थान पर उसके सत्यापन के लिये आवश्यक उपाय करेगा।
- (3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट बाँट या माप के सत्यापन के लिए उपयोक्ता, ऐसी सुविधाएं निरीक्षक

को उपलब्ध कराएगा जो नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। '

' संशोधन दिनांक 17–3–05 द्वारा संशोधित जो कि म प्र राजपत्र दिनांक 01–4–05 में प्रकाशित

- (4) सत्यापन के प्रस्तुत किया गया प्रत्येक बांट या माप स्वंय मे पूर्ण होगा और उस पर विनिर्माता का ऐसा चिन्ह नहीं होगा जिसक गलती से निरीक्षक की स्टाम्प समझा जा सके .
- (5) प्रत्येक बांट या माप साफ सुधरी हालत में सत्यापित किया जायेगा और आवश्यक हो तो निरीक्षक , स्वामी या उपभोक्ता से इस प्रयोजन के लिये आवश्यक व्यवस्था करने की अपेक्षा करेगा
- (6) जहां कोई बाँट या माप सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए निरीक्षक के पास लाया जाता है, वहां वह उसका सत्यापन विहित फीस की प्राप्ति के पश्चात् कर सकेगा।'
 - ' संशोधन दिनांक 17–3–05 द्वारा संशोधित जो कि म प्र राजपत्र दिनांक 01–4–05 में प्रकाशित
 - (7) कोई निरीक्षक किसी ऐसे बांट या माप का , जिसका किसी संव्यवहार मे या औधौगिक उत्पादन के लिये उपयोग किया जा रहा है या किया जाना आशयित या संभाव्य है, निरीक्षण या परिक्षण करने के लिये अपनह अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्येक परिसर का, नियम (14)

के उपनियम (1) में विनिदिष्ट कालावधि के दौरान यथासंभव बार- बार निरीक्षण करेगा

16 बांटो या मापों स्टाम्पित करना : — (1) निरीक्षक यदि सत्यापन के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा बांट या माप मानक अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानको के अनुरूप है तो प्रत्येक बांट या माप को नियंत्रक द्वारा दी गई एक ही प्रकार की डिजाइन की ऐंसी स्टाम्प से स्टाम्पित करेगा जिसमे प्रशासनिक प्रयोजनो के लिये उस निरीक्षक को जो उसे स्टाम्पित करता है आंवटित संख्यांक दिया हुआ होगाा :

पंरतु यदि किसी बांट या माप के आकार या स्वरूप के कारण उस पर स्टाम्प लगाना वाछंनीय या साध्य नहीं है तो निरीक्षक ऐसी कारवाई करेगा जैसी नियंत्रक साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा निदेश दे.

(2) निरीक्षक, प्रत्येक सत्यापित बॉट या माप पर स्टाम्पन का वर्ष और उस वर्ष की तिमाही भी, सिवाय इसके जब ऐसे बॉट या माप के आकार की प्रकृति के कारण ऐसा करना असाध्य हो, चिन्हांकित करेगा।

स्पष्टीकरण :— कोई वर्ष चार तिमाहियों से मिलकर बना समझा जाएगा जिसमें से पहली तिमाही जनवरी फरवरी और मार्च मास की होगी, जिसे "ए" के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा दूसरी तिमाही अप्रैल, मई, जून मास की होगी जिसे "बी" के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा, तीसरी तिमाही जुलाई, अगस्त, सितम्बर मास की होगी, जिसे "सी" के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा और चौथी तिमाही अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर मास की होगी, जिसे "डी" के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा जीया जायेगा।'

- ' संशोधन दिनांक 17—3—05 द्वारा संशोधित जो कि म प्र राजपत्र दिनांक 01—4—05 में प्रकाशित
- (3) सत्यापन और स्टाम्पन पूरा होने पर निरीक्षक अनुसूची 11 मे दिए गए प्ररूप मे सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करेंगा
- (4) जहां कोई सत्यापन प्रमाण—पत्रा गुम या नष्ट हो जाता है वहां सत्यापन प्रमाण—पत्रा धारक सत्यापन प्रमाण प्रत्रा की दूसरी प्रति जारी करने के लिये उस निरीक्षक को तत्काल आवेदन करेगा, जिसने सत्यापन प्रमाण—पत्रा जारी किया था, सत्यापन प्रमाण—पत्रा की दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ दस रूपये फीस होगी।'
- ' संशोधन दिनांक 17—3—05 द्वारा संशोधित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 01—4—05 में प्रकाशित

- (5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर निरीक्षक आवेदक को सत्यापन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा जो दूसरी प्रति शब्दो से चिन्हांकित होगी
- 17 सत्यापन और स्टाम्पन के लिये फीस :— (1) निरीक्षक के कार्यालय या शिविर कार्यालय मे बांट या माप के सत्यापन और स्टाम्पन के लिये देय फीस वह होगी जो अनुसूची 12 मे विनिदिष्ट की गई है
- (2) यदि बाँट या माप के उपयोक्ता के अनुरोध पर सत्यापन निरीक्षक के कार्यालय या शिविर (केम्प) कार्यालय से भिन्न किसी परिसर में किया जाता है तो अनुसूची—12 में विनिर्दिष्ट दर की पूर्ण दर पर अतिरिक्त फीस प्रभावित की जाएगी और बाँट या माप का उपयोक्ता परिसर के निरीक्षण के लिए निरीक्षक द्वारा उपगत किए गए व्यय का, जिसके अन्तर्गत कार्यकारी मानक और अन्य उपकरण के परिवहन और उसकी उठाई धराई का खर्च भी है, भुगतान भी करेगा जो कम से कम एक सौ रूपये होगा:

परन्तु निम्नलिखित के यथावत सत्यापन तथा स्टाम्पन के लिये कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

- (क) यान टैंक, डिस्पेन्सिंग पंप, वे–ब्रिज–डारमेंट प्लेटफार्म मशीन और ऐसे अन्य बाँट या माप जो उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता या हटाया नहीं जाना चाहिए।
- (ख़) ऐसे बाँटो तथा मापों के विनिर्माता या स्टाकिस्ट के परिसर में के बाँट और माप। '
- ' संशोधन दिनांक 17–3–05 द्वारा संशोधित जो कि म प्र राजपत्र दिनांक 01–4–05 में प्रकाशित
- (3) यदि कोई बांट या माप स्टाम्प की विधियमान्यता की समाप्ति के पशचात् पुनः सत्यापन के लिये निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाता है तो अनुसूची 12 में विनिदिष्ट दर की आधी दर पर अतिरिक्त फीस बर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिये देय होगी
- (4) विनिर्माता या व्यवहारी के स्टाक में के किसी बाँट या माप के उस तारीख से, जिसको उस पर अंतिम बार स्टाम्पन किय गया था, नियम 14 में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर पुनः स्टाम्पन के लिए पूर्ण फीस देय होगी, परन्तु यह तब जब मूल स्टाम्प, अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन मिटा न दी गई हो।
- ' संशोधन दिनांक 17—3—05 द्वारा संशोधित जो कि म प्र राजपत्र दिनांक 01—4—05 में प्रकाशित
- (5) किसी बाँट या माप को, सत्यापन में ठीक न पाए जाने पर वह बाँट माप समायोजन के लिए संबंधित व्यक्ति को उसमें पाई गई त्राुटियों की, नियंत्राक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जानकारी देते हुए और उन त्राुटियों को अधिक से अधिक सात दिन की अविध के भीतर दूर करने की उससे

अपेक्षा करते हुए लौटा दिया जाएगा। जब आवश्यक समायोजन कर दिया गया हो तब ऐसे बाँट या माप का, अनुसूची—12 में विनिर्दिष्ट फीस के पचास प्रतिशत का संदाय कर दिए जाने पर सत्यापन किया जाएगा जिसमें असफल होने पर पूर्ण फीस प्रभारित की जाएगी और यदि ठीक पाया गया तो उसे स्टाम्पित किया जाएगा।

17 — क किसी दस्तावेज की प्रति दी जाने हेतु फीस :— किसी सहायक नियंत्रक द्वारा किसी दस्तावेज की जो गोपनीय स्वरूप का दस्तावेज न हो, प्रमाणित प्रतियां देने के लिये देय फीस प्रत्येक 100 या उससे कम शब्दों के लिये रूपया 1.00 होगी । '

' संशोधन दिनांक 1—5—96 द्वारा संशोधित जो कि म प्र. राजपत्र दिनांक 15—5—96 में प्रकाशित

18 फीस का संग्रहण और उसका खजाने में जमा किया जाना :— (1) सत्यापन या पुनः सत्यापन का कार्य प्रारमं करने से पहले निरीक्षक संबंधित व्यक्ति को इन नियमों के अधीन उसके द्वारा संदेय फीस की सूचना देगा और उसे प्राप्त करेंगा और निरीक्षक द्वारा अनुमोदित प्रारूप में रसीद देगा, रसीद की एक प्रति अभिलेख में रखी जाएगी

परतु केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इन नियमों के अधीन संदेय फीस ऐसी रीति से वसूल की जा सकेगी जैसी नियंत्रक द्वारा निदिष्ट की जाये

- (2) निरीक्षक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा जो दिन प्रतिदिन भरा जायेगा और उसमें उस दिन के दौरान वसूल की गई फीस और अन्य प्रभारों की रकम दर्शित की जायगी
- (3) सप्ताह के दौरान निरीक्षक द्वारा प्राप्त किए गए सभी संदाय सरकारी खजाने में समुचित लेखा शीर्ष के अधीन उन तारीखों या दिनों को जो नियंत्रक द्वारा समय समय पर विनिदिष्ट किए जाएगें और उनकी रसीद प्राप्त की जाएगी और इस आशय की सूचना नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी का भेजी जाएगी.
- 19 अभिग्रहीत बांट,माप आदि का व्ययन :— (1) अधिनियम की धारा 30 या 31 के अधीन माप अभिग्रहीत और निरूध किसी ऐसे बांट या माप या दस्तावेज या चीज के संबंध में जिसे न्यायालय की कार्यवाही जैसी नियंत्रक साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदिष्ट करें, उसके अभिग्रहण के साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् की जाएगी और उसकी सामग्री का विक्रय किया जायगा और विक्रय आगम सरकार को जमा किए जाएग.

पंरतु नियंत्रक निर्देश दे सकेगा कि सत्यापित न किया गया बांट या माप उस व्यक्ति को जिसने ऐसे बांट या माप का अभिग्रहण किया गया था तब वापस किया जाय, वह व्यक्ति विहित फीस का, जिसके अन्तर्गत स्टाम्प की विधि मान्यता की समाप्ति के पश्चात् पुनः सत्यापन करने के लिए देय अतिरिक्त फीस भी है , संदाय किये जाने पर उसका सत्यापन और स्टाम्पन उसकी वापसी के दस दिन के भीतर कराएगा .

(2) अधिनियम की धारा 30 या 31 के अधीन अभिग्रहित या निरूद्ध कोई ऐसा बाँट या माप या दस्तावेज या चीज या माल जो किसी न्यायालय की कार्यवाही का विषय होना है, निरीक्षक द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा, जिसे कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् निरीक्षक अपने कब्जे में ले लेगा और न्यायालय के आदेश के अनुसार उसका निपटारा करेगा:

परन्तु न्यायालय के आदेश के अभाव में, बाँट या माप या दस्तावेज या चीज या माल का उस प्रकार निपटारा किया जाएगा, जैसा नियंत्राक, विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दें।.'

' संशोधन दिनांक 1–5–96 द्वारा संशोधित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 15–5–96 में प्रकाशित

(3) यदि अधिनियम की धारा 30 या 31 के अधीन अभिग्रहित कोई माल शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है तो निरीक्षक, अपने पास या अपराध स्थल के निकट उपलब्ध तौल या माप के उपकरण पर, जो सत्यापित है, माल की तौल या माप करायेगा और माल की वास्तविक तौल या माप की, इस प्रयोजन के लिए नियंत्राक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रविष्टि करेगा, और व्यापारी या उसके अभिकर्ता या ऐसे अन्य व्यक्ति के, जिसने अपराध किया है, हस्ताक्षर लेगा, प्रश्नगत माल यथास्थिति, व्यापारी या क्रेता को वापस किया जायगा:

परन्तु यदि व्यापारी या उसका अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति (जिसने अपराध किया है) प्ररूप पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो निरीक्षक, व्यापारी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के ऐसे इन्कार करने के समय उपस्थित कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर लेगा। व्यापारी को माल वापस करने के मामले में वह वचन देगा कि वह त्र्युटिपूर्ण माल का विक्रय उसकी त्र्युटियों का सुधार किए बिना नहीं करेगा।

' संशोधन दिनांक 1—5—96 द्वारा संशोधित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 15—5—96 में प्रकाशित

(4) जहां मानक अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहित माल किसी पैकेज में है और पैकेज मिथ्या है या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है और ऐसे पैकेज का माल शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है वहां निरीक्षक, जहां तक हो सके, ऐसे पैकेज के माल का व्ययन, उपनियम (3) के उपबन्धों के अनुसार कर सकेगा : परन्तु यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या अभिग्रहित तथा निरुद्ध किया गया माल शीघ्रतया या

प्रकृत्या क्षयशील है, नियंत्राक अंतिम प्राधिकारी होगा।'

- ' संशोधन दिनांक 1–5–96 द्वारा संशोधित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 15–5–96 में प्रकाशित
- (5) जहां मानक अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहित माल शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील नहीं है, वहां निरीक्षक, व्यापारी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को (जिसने अपराध किया है) ऐसे अभिग्रहण की सूचना देने के पश्चात् पैकेज को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए रख सकेगा।.'
 - ं संशोधन दिनांक 1–5–96 द्वारा संशोधित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 15–5–96 में प्रकाशित
- (6) उप नियम (4) के अधीन निर्दिष्ट माल का जो, न्यायालय की प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं है, उसके अभिग्रहण से साठ दिन का अवसान होने के पश्चात इस प्रकार निपटारा किया जाएगा, जैसा कि

नियंत्रक विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करें।.'

- ं संशोधन दिनांक 1–5–96 द्वारा स्थापित जो कि म प्र. राजपत्र दिनांक 15–5–96 में प्रकाशित
- 20 निरीक्षकों की अर्हताए :- (1) कोई व्यक्ति निरीक्षक के रूप में जब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक की वह -
- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय का (जिसमे भौतिक एक विषय के रूप मे हौ) प्रोधोगिकी या इंजीनियरी मे स्नातक न हो, या इंजीनियरी मे कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा न रखता हो , और
- (ख) राज्य की प्रादेशिक भाषाओं में से कम से कम एक भाषा बोल, पढ और लिख न सकता हो
- (2) उपनियम (1) मे की कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जो इन नियमों के प्रांरभ से पूर्व निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे या निरीक्षक के रूप में प्रोन्नित के पात्र है
- (3) निरीक्षक के पद पर नियुक्त व्यक्ति को मानक अधिनियम की धारा 76 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान में बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यकम, इससे पहले कि पद पर पृष्टि करने के लिये उस पर विचार किया जाए, पूरा करना होगा
- 21 कार्यकारी मानक, उपस्कर आदि का निरीक्षक के लिये उपबन्ध करना :— (1) प्रत्येक निरीक्षक को कार्यकारी मानक कार्यकारी मानक तुलाए और ऐसे अन्य उपस्कर, जिनके अन्तर्गत तौल और माप के यंत्र भी है, जो समय समय पर नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किए जाए, दिए जायेगे.

- (2) प्रत्येक निरीक्षक को ऐसी डाइयो,पचं और ऐसे अन्य उपस्कर दिए जाएगे जो सत्यापन स्टाम्म लगाने के लिये आवश्यक हो जिनके डिजाइन और उनकी संख्या नियंत्रक द्वारा अनुमोदित की जायगी
- (3) प्रत्येक निरीक्षक को स्टाम्प मिटाने के लिये नीचे दर्शित आठ नोक वाले तारे का समुचित आकर का पंच दिया जायगा
- 22 बांटो,मापों आदि के उपयोग से संबंधित उपबंध :— (1) अपने परिसर में किसी संव्यवहार में डंडी वाली तराजू का उपयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस तराजू को स्टेण्ड पर या हुक द्वारा चेन पर लटकाएगा

परंतु यह उपनियम फेरी लगाकर बेचने वाला को लागू नही होगा

- (2) प्रत्येक बांट या माप का साफ सुथरी हालत में और रोशनी की उचित व्यवस्था में उपयोग किया जायगा
- (3) किसी ऐसे बांट या माप को, जो यथावत् सत्यापित और स्टाम्पित किया गया है, नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को पूर्व सूचना दिए बिना उसके मूल स्थान से खोला (उखाडा) और हटाया नहीं जायगा
- ' विलोपित.
- ' संशोधन दिनांक 1—5—96 द्वारा स्थापित जो कि म प्र. राजपत्र दिनांक 15—5—96 में प्रकाशित
- (5) तौल के किसी उपकरण की यथार्वता की उचित जांच पडताल सुनिश्चित करने के लिये उपयोक्ता उपकरण की क्षमता के दसवे भाग या एक टन,इनमें से जो भी कम हो,उसके बराबर सम्युकत : सत्यापित और स्टाम्पित बांट प्रत्येक तौल के उपकरणे के स्थान पर रखेगा :
- परंतु नियंत्रक उस व्यपार परिसर में जहां तौल के उपकरण एक से अधिक है सत्यापित और स्टाम्पित बांट रखे जाने के लिये उनकी कुल संख्या विनिदिष्ट कर सकेगा
- परंतु फेरी लगाकर बेचने वाले की दशा में प्रमाण पत्र उसके अपने पास रहेगा पंरतु यह और कि यान टेंक की दशा में सत्यापन प्रमाण पत्र यान के साथ रहेगा
- (6) पेट्रोल / डीजल पम्पों का उचित प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु पम्प का खुदरा विक्रेता पांच लीटर क्षमता का सत्यापित माप अपने परिसर में रखेगा और सही प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु प्रतिदिन पम्प से निकासी की जांच करेगा। कम प्रदाय की दशा में विक्रेता पम्प से प्रदाय तत्काल रोकेगा और निरीक्षक / अधिकृत अधिकारी को पम्प के पुनः अंशांकन के लिये सूचित करेगा।
- ' संशोधन दिनांक 1–5–96 द्वारा स्थापित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 15–5–96 में प्रकाशित

- 23 सत्यापन प्रमाण पत्र का प्रदर्शित किया जाना :— वह व्यथक्त, जिसे सत्यापन प्रमाण पत्र दिया जाता है उस प्रमाण पत्र को उस परिसर में, जहां ऐसे बांट या माप या तौल अथवा माप उपकरण जिनके बारे में प्रमाण पत्र है उपयोग मे लाये जा रहे है , किसी सहजद्श्य स्थान मे प्रदर्शित करेगा
- 24 नियमों के उल्लंधन के लिए शास्ति :— जो कोई इन नियमों के किसी ऐसे उपबंध का, जिसके उल्लंधन के लिए किसी दण्ड का अधिनियम में प्रथक से कोई उपबंध नहीं किया गया है उल्लंधन करेगा वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा
- 25 अपील का प्ररूप :— (1) अधिनियम और इन नियमों के अधीन प्रत्येक अपील अनुसूची 13 में दिए गए प्ररूप में की जायेगी और जिस आदेश के विरूध अपील की गई है उसकी एक प्रति उसके साथ होगी
- (2) अपील की अर्जी पर दो रूपय का न्यायालय फीस लेबल लगाया जायेगा
- (3) अपील के लिए आवेदन के साथ रूपया 25.00 फीस देय होगी
 - ' विलोपित.
 - ' विलोपित.
 - ' विलोपित.
 - ' विलोपित

' संशोधन दिनांक 17—3—05 द्वारा विलोपित जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 01—4—05 में प्रकाशित

अनुसूची 4

(नियम 11 देखिये)

नियम 11 मे निदिष्ट अपवाद

निम्नलिखित वस्तुएं बांट, माप या संख्या द्वारा बेंची जा सकेगी जैसा की वस्तु के सामने दर्शाया गया है :--

सारणी

कमांक वस्तु

क्या धोषणा बांट माप या संध के रूप मे या उनमे से दो या अधिक रूप में अभिव्यक्त की जाना है

1	ऐरोसाल उत्पाद .	बांट
2	द्रव के रूप मे एसिड	बांट या आयतन
3	संपीडित या द्रवित गैस	बांट और समतुल्य आयतन,
	(किन्तु द्रवित पेट्रोलियम नही)	उल्लिखित तापकम और दाब पर
4	मक्खन (जिसके अन्तर्गत मूंगफली मक्खन है)	बांट
	पनीर, दही, धी	
5	विद्युत केवल	लम्बाई या बांट
6	विद्युत तार	लम्बाई या बांट
7	बाड लगाने के लिए तार	लम्बाई या बांट
8	सुगंन्ध रहित केश तैल	बांट
9	फल और साग भाजी	संख्या या बांट
10	मिट्टी तैल	बांट या आयतन
11	अलसी का तैल और अन्य वनस्पति तैल	बांट
12	भारी अवशिष्ट ईंधन तैल	बांट
13	प्रोधौगिक डीजल तैल	आयतन
14	शहद, माल्टसार गोल्डन सिरप ट्रीकाल	बांट
15	आईसकीम और अन्य ऐसे ही हिम शीतित उत्पाद	बांट या आयतन
16	द्रव रासायनिक	बांट या आयतन
17	द्रव पेट्लियम गैस	बांट
18	कीले, लकडी के पेंच	संख्या या बांट
19	पेंट (पेस्ट पेन्ट या ठोस पेंट से भिन्न)	आयतन
20	पापड	संख्या या बांट
21	पेस्ट पेंट, ठोस पेंट	बांट
22	रसगुल्ला, गुलाब जामुन और अन्य मधुर निमितियां	बांट
23	तैयार वस्त्र	संख्या और आकार
24	सांस सभी प्रकार के	बांट
25	टायर और ट्यूब	संख्या

अनुसूची 5—क 🗌

(नियम 11 देखिये)

प्ररूप-ठ-ड-1

(बॉट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अधीन बॉटों, मापों के विनिर्माता के रूप में

अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन का प्ररूप)

प्रति,		आवेदकोंद्वारा भरा जाए	निरीक्षणअधिकारी की टीका टिप्पणियां
	(1)	(2)	(3)
1.	उस विनिर्माता समुत्थान का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति चार गई है।	हीं <u>.</u>	
2.	समुत्थान का पूरा पता, क्या परिसर स्वयं का है/किराये क पट्टे/अनुज्ञा अनुज्ञप्ति (लीव लाइसेंस) पर लिया गया है संबंधित दस्तावेज द्वारा सम्यक रूप से समर्थित किया जाए		
3. 4.	कर्मशाला (वर्कशॉप) / कारखाने के स्थापन की तारीख। स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक के नाम एवं पता (पते), उनके पिता / पति के नाम सहित।		
5.	कारखाने / दुकान / स्थापन / नगरपालिका व्यवसाय अनुज्ञप्ति तारीख तथा वर्तमान रजिस्ट्रीकरण संख्यांक।	ा की	
6. 7.	वर्तमान विनिर्माण क्रियाकलापों की प्रकृति। विनिर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित बाँटो एवं मापों की टाईप अर्थात् ः		
	(1) बाँट(2) माप(3) तौल के उपकरण(4) माप के उपकरण, प्रत्येक मामले में ब्यौरों सहित		
8.	नियोजित / नियोजन हेतु प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या ः ि (1) कुशल (2) अर्द्धकुशल (3) अकुशल (4) कार्यक्षेत्रा (लाइन) में विशेष रूप से प्रशिक्षित		
9.			

10.	मशीनरी, औजार, उपसाधन आदि के जिनके आप स्वामी हैं और जो बाँटो, मापों आदि के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाये जाते हैं, के ब्यौरे।	
11.	विन्यस्त ढलाई का कारखाना (फाउन्ड्री) कर्मशाला सुविधाओं के ब्यौरे, चाहे स्वामित्व में हों या दीर्घकालिक पट्टे आदि पर हो।	
12.	महत्वपूर्ण भागों की इस्पात ढलाई और कठोरता परीक्षण की सुविधायें।	
	विद्युत् ऊर्जा की उपलब्धतासरकार या वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्ति का ब्यौरा यदि हां तो ब्यौरा दीजिए	
	बैंकर यदि कोई हो, का नाम विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक / केन्द्रीय विक्रय कर संख्यांक /वित्तकर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक / आयकर संख्यांक ।	
17.	क्या आपने विनिर्माता अनुज्ञप्ति के लिए पहले आवेदन किया है ?यि हां तो कब और क्या परिणाम हुआ ?	
	(क) विनिर्मित किये जाने वाली वस्तुएं क्या राज्य के भीतर राज्य के बाहर या दोनों जगह विक्रय की जाएंगी।	
	(ख) भारत सरकार से प्राप्त माडल अप्रूवल के ब्यौरे या आपके उत्पाद के जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है, नमूने (सेम्पल) निरीक्षण हेतु कब प्रस्तुत कर सकते हैं ?	
	आवेदक / आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए	
को '	प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने बाँट और माप मानक अधिनियम 1976, बाँट मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 तथा मध्यप्रदेश बाँट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने सनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।	1989
पर,	मैं / हम नियत अनुज्ञप्ति फीस, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की सरकार को शीघ्र जमा कराने के लिये सहमत हूँ / हैं।	जाने
	ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।	
स्थान	न :	
तारी	ख : हस्ताक्षर और प	 दनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाय

	आवेदन की प्राप्ति की तारीख		
	आवेदन का क्रम संख्यांक		
	निरीक्षण की तारीख		
	निरीक्षण अधिकारी की सिफारिश		
स्थान :			
तारीख	:	निरीक्षण उ	 ।धिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम
	अनुज्ञापन अधिकारी का अ	ांतिम आदेश	
	अनुज्ञप्ति मंजूर / नामंजूर की जाती है।		
	अनुज्ञप्ति संख्यांक		
	विधिमान्य त	ाक	
स्थान :			
तारीख	:	3	 इस्ताक्षर और पदनाम
	अनुसूची 5—क		
	(नियम 11 देखिरे	1)	
	प्ररूप—ट—द—1		
(बॉंट	ट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अ	धीन बाँटों, मापों के मि	स्त्रायों के रूप में
	अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन	का प्ररूप)	
प्रति,		आवेदकोंद्वारा भरा जाए	निरीक्षणअधिकारी की टीका टिप्पणियां
	(1)	(2)	(3)
1. अ	नुज्ञप्ति चाहने वाले मरम्मतकर्ता समुत्थान का नाम		

2.	कर्मशाला का पूरा पता		
 4. 	(क) क्या परिसर स्वयं का है/किराये का है/पट्टे/अनुइ अनुज्ञप्ति (लीव लाइसेंस) पर लिया गया है। दस्तावेज द्वारा सम्यक रूप से समर्थित हो। (ख) स्थापना की तारीख स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) के नाम और	Ť 	
	पता (पते), उनके पिता / पति के नाम सहित।		
5.	चालू दुकान / संस्थान वर्तमान नगर पालिका व्यवसाय अनुइ	ज्ञप्ति	
	का संख्यांक और तारीख।		
6.	वृत्तिकर/आयकर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक।		
7.	मरम्मत किए जाने के लिए प्रस्तावित बाँटों तथा मापों का प्रकार (टाईप)		
8.	क्षेत्रा, जिसमें आप संचालित करना चाहते हैं।		
9.	इस कार्यक्षेत्रा (लाईन) में पूर्व अनुभव		
10.	कर्मशाला में नियोजित या नियोजित किए जाने हेतु प्रस्तावि कुशल कर्मचारीवृंद की संख्या।	प्रेत	
	(क) कुशल		
	(ख) अर्द्धकुशल		
	(ग) अकुशल		
	(घ) कार्यक्षेत्रा में प्रशिक्षित कर्मचारी		
11.	उपलब्ध मशीनरी/औजार/सहायक सामग्री के ब्यौरे।		
12.	विद्युत् ऊर्जा की उपलब्धता		
13.	क्या आपके पास उधार / परीक्षण बाँटों आदि का पर्याप्त स्ट है, ब्यौरा दीजिए।	टाक	
14.	क्या आपने मिस्त्री। की अनुज्ञप्ति के लिए पहले आवेदन कि यदि हां तो कब और उस आवेदन का क्या परिणाम हुआ।	ज्या है ?	

आवेदक/आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने बाँट और माप मानक अधिनियम 1976, बाँट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 तथा मध्यप्रदेश बाँट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 1989 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।

मैं / हम नियत अनुज्ञप्ति फीस, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर, सरकार को शीघ्र जमा कराने के लिये सहमत हूँ / हैं।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।

स्थान :				
तारीख	:		 हस्ताक्षर	और पदनाम
	राज्य सरकार के विभागीय अधिकार्र	ो द्वारा भरा जाय		
	आवेदन की प्राप्ति की तारीख			
	आवेदन का क्रम संख्यांक			
	निरीक्षण की तारीख			
	निरीक्षण अधिकारी की सिफारिश			
स्थान :				
तारीख	:	निरीक्षण	 । अधिकारी	के हस्ताक्षर और पदनाम
	अनुज्ञापन अधिकारी का अंति	ोम आदेश		
	अनुज्ञप्ति मंजूर / नामंजूर की जाती है।			
	अनुज्ञप्ति संख्यांक			
	विधिमान्य तक	5		
स्थान :				
तारीख	:		 हस्ताक्षर	और पदनाम

अनुसूची 5—क

(नियम 11 देखिये)

(बाँट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अधीन बाँटों, मापों के व्यवहारी के रूप में अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन का प्ररूप)

प्रति,	3.	,	
яіп,		आवेदकोंद्वारा भरा जाए	निरीक्षणअधिकारी की टीका टिप्पणियां
	(1)	(2)	(3)
1.	अनुज्ञप्ति चाहने वाले स्थापन/दुकान/व्यक्ति का नाम . (क) स्थापन/दुकान/व्यक्ति का पूरा पता .		
	(ख) क्या परिसर स्वयं का है/किराये का है/पट्टे/अनुज्ञा अनुज्ञप्ति (लीव लाइसेन्स) पर लिया गया है। संबंधित दस्तावेजों द्वारा सम्यक रूप से समर्थित हो।	Г.	
3.	स्थापना की तारीख		
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों और लिमिटेड . कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का / के नाम और पता (पते), उनके पिता / पति के नाम सहित।		
5.	चालू दुकान / स्थापन / नगर पालिका व्यवसाय अनुज्ञप्ति का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और तारीख।		
6.	वर्तमान में बेचे गये / बेचने हेतु प्रस्तावित बाँटों और मापों . का प्रवर्ग।		
7.	केन्द्रीय विक्रय कर/विक्रय कर/वृत्तिकर/आयकर का . रजिस्ट्रीकरण संख्यांक।		
8.	क्या आप बाँट आदि का राज्य/देश के बाहर के स्थानों से आयात करना चाहते है ? यदि हां तो उनकी पूर्ति के स्त्राोत बताइए (विनिर्माता के व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम के ब्यौरे और उसका अनुज्ञप्ति संख्यांक दीजिए)	Г	
9.	क्या आपने पूर्व में इस राज्य में या अन्यत्रा व्यवहारी की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है ? यदि हां तो ब्यौरे दीजिए।		

आवेदक/आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमने बाँट और माप मानक अधिनियम 1976, बाँट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 तथा मध्यप्रदेश बाँट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 1989 को पढ़ लिया है और मैं / हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ / हैं।

मैं / हम नियत अनुज्ञप्ति फीस, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर, सरकार को शीघ्र जमा कराने के लिये सहमत हूँ / हैं।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।

स्थान :				
तारीख	:			
			हस्ताक्षर	और पदनाम
	राज्य सरकार के विभागीय अधि	कारी द्वारा भरा जाय		
	आवेदन की प्राप्ति की तारीख			
	आवेदन का क्रम संख्यांक			
	निरीक्षण की तारीख			
	निरीक्षण अधिकारी की सिफारिश			
स्थान :				
तारीख	:			
		निरीक्षण	अधिकारी	ं के हस्ताक्षर और पदनाम
	अनुज्ञापन अधिकारी का	अंतिम आदेश		
	अनुज्ञप्ति मंजूर / नामंजूर की जाती है।			
	अनुज्ञप्ति संख्यांक			
	विधिमान्य	तक		
स्थान :				
तारीख	:		 हस्ताक्षर	और पदनाम
	अनुसूची 5—	रव		
	अनुसूचा उ	∽		

(नियम 11 देखिये)

प्ररूप-टड-2

(बाँट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अधीन बाँटों, मापों के विनिर्माता के रूप में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन)

प्रति,		आवेदकोंद्वारा भरा जाए	निरीक्षणअधिकारी की टीका टिप्पणियां
	(1)	(2)	(3)
1.	उस विनिर्माता समुत्थान का नाम और पूरा पता, जिसके ि अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहा गया है।	नए	
2. 3.	विनिर्माता अनुज्ञप्ति संख्यांक स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का नाम / के एवं पता (पते), उनके पिता / पति के नाम सहित।		
4.	(क) बॉटो और मापों का प्रकार जिनको मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार विनिर्माण किया जाता है।		
	(ख) क्या आप कोई परिवर्तन प्रस्तावित करते है ?		
5.	आपके द्वारा विनिर्मित बाँट और माप पर प्रयुक्त मोनोग्राम य् व्यापार चिन्ह।	या	
6.	कर्मशाला की उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे।		
7.	पिछले 5 वर्षो में उत्पादन और विक्रय के ब्यौरे।		
8.	दुकान / स्थापन का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक तथा तारीख।		
9.	विक्रय—कर / केन्द्रीय विक्रय कर / वृत्तिकर / आयकर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक।		
	आवेदक / आवेदकों द्वारा प्रमाणित वि	ोया जाए	
को प	प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने बॉट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 तथा मध्यप्रदेश बॉट औ पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी सनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये स	र माप मानक (प्र किये गये या ज	वर्तन) नियम, 1989
	मैंने / हमने नियत अनुज्ञप्ति फीस, के रूपये	(रूपरे	ì

उप—खजाना / बैंक में तारीख को उ		जमा करा दिए	, हैं और	मूल चालान
संल	ग्न है।			
	ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम इ	ज्ञान के अनुसार	सही है।	
स्था	न :			
तारी	ख :			
			हस्ताक्षर	और पदनाम
	अनुसूची 5—ख			
	(नियम 11 देखिये)			
	प्ररूप-ठद-2			
	(बाँट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये		मिस्त्री। व	हे रूप में
प्रति,				
		आवेदकोंद्वा भरा जाए	की	ाणअधिकारी टीका प्रणियां
	(1)	(2)		(3)
1.	अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहने वाले मिस्त्रीी समुत्थान/व्यक्ति का नाम और पूरा पता।			
2.	मिस्त्री का अनुज्ञप्ति संख्यांक			
3.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का नाम एवं पता (पते), उनके पिता / पति के नाम सहित।			
4.	चालू दुकान / स्थापन / नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति क रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और तारीख	ग		
5.	विक्रयकर / वृत्तिकर / आयकर / रजिस्ट्रीकरण संख्यांक			
6.	(क) बाँटो और मापों का प्रकार (टाईप) जिनकी मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार मरम्मत की जाती है।	ì		
	(ख) क्या आप कोई परिवर्तन प्रस्तावित करते है ?			
7.	पिछले 5 वर्षो में किए गये मरम्मत कार्य का ब्यौरा।			
8.	क्षेत्र जिसमें आप क्रियाशील हैं।			

.....

9. क्या आपके पास उधार / परीक्षण बाँटों आदि का पर्याप्त स्टाक है ?	
10. स्टाम्पन की विशिष्टियों सहित ब्यौरे दीजिए।	
आवेदक / आवेदकों द्वारा प्रमाणित 1	केया जाए
प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमने बाँट और मा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 तथा मध्यप्रदेश बाँट अं को पढ़ लिया है और मैं / हम उनका और उनके अधीन जारी प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये	ौर माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 1989 । किये गये या जारी किये जाने वाले
मैंने / हमने नियत अनुज्ञप्ति फीस, के रूपये)	(रूपये
तारीख को उप–खजाना / बैंक में	जमा करा दिए हैं और मूल चालान
संलग्न है।	
ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञ	ान के अनुसार सही है।
स्थान :	
तारीख :	हस्ताक्षर और पदनाम
अनुसूची 5—ख	
(नियम 11 देखिये)	
प्ररूप—उघ—2	
(बाँट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अधीन अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिये अ	
प्रति,	
	आवेदकोंद्वारा निरीक्षणअधिकारी भरा जाए की टीका टिप्पणियां
(1)	(2) (3)
 अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहने वाले स्थापन / दुकान / व्यक्ति का नाम। 	

3.	स्थापन की तारीख	
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / अथवा भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का / के नाम और पता (पते), उनके पिता / पति के नाम सहित।	
5.	चालू दुकान/स्थापन/चालू नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और तारीख	
6.	वर्तमान में बेचे गये बाँटों और मापों का प्रवर्ग	
7.	केन्द्रीय विक्रयकर / विक्रयकर / वृत्तिकर / आयकर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक।	
8.	पिछले 5 वर्षो के विक्रय के ब्यौरे।	
9.	क्या आपका राज्य / देश के बाहर से बाँटों तथा मापों आदि का आयात करने का आशय है ? यदि हां तो राज्य (राज्यों) / देश (देशों) से प्रदाय के स्त्रोत बताइये। (विनिर्माता का व्यापार चिन्ह / मोनोग्राम और उसकी अनुज्ञप्ति संख्यांक के ब्यौरे दीजिए)।	
	आवेदक/आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए	
को	प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने बाँट और माप मानक अधिनियम 1976, बाँट मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 तथा मध्यप्रदेश बाँट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने सनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।	1989
	मैंने / हमने नियत अनुज्ञप्ति फीस, के रूपये(रूपये (रूपये(रूपये	
	खवो उप–खजाना / बैंक में जमा करा दिए हैं और मूल च ग्न है।	गलान
	ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।	
स्थाः	न :	
तारी	ख : हस्ताक्षर और पव	 ;नाम"

"ब्रम्कन्सम् टप्

ख्मम तनसम 12 ;3द्ध, स्पबमदेपदह ध्वतउे ध्व्ड स्ड.3

ळवअमतदउमदज विडंकीलं च्लंकमी

ठळळळ म ब्हु ज्यूपर क सम्ब्र ।स इम्प्ल्क्क

स्पबमदेम जव उंदनबिजनतमए ूमपहीजेए उमेंनतमेए ूमपहीपदह पदेजतनउमदजे वत उमेंनतपदह पदेजतनउमदजेण

स्पबमदेम छव३३३३ण

ल्मंत ३३३३३३ण

- जीम सपबमदेम पे अंसपक वित जीम चंतजल दंउमक इवअम पद तमेचमबज विभे वर्तोविच सवबंजमक ज ३३३३३०
- 3. जीपे सपबमदेम पे अंसपक तिवउ ३३३३३३ जव 31^ज क्मबमउइमतए19 ३३३३३ण
- 4. जीम उंदनिबजनतमत ोंसस बवउचसल ूपजी जीम बवदकपजपवदे दवजमक इमसवूण पिन पिसे जव बवउचसल पुजी दलवदम विजीमेमए पि सपबमदेम पे सपंइसम जव इम बंदबमससमकण
- जीम जतंकम उंता उवदवहतंउ इमपदह नेमक इल जीम उंदनबिजनतमत पें नदकमतण

33333333

ै;पहदंजनतमद्ध

ब्वदजतवससमत विसमहंस डमजतवसवहल

ैमंसद

डंकीलं च्तंकमी

कंजम ३३३३३३ण

च्संबम ३३३३३३ण

छवजम रू प्द जीम बेंम वििपतउए पजे दंउम ूपजी जीम दंउमे विस्तिस दंउम विस्तिस चमतेवदे विभवह पदजमतमेज पद जीम इनेपदमे विनसक इम हपअमद पद चंतंहतंची 1ण

"अनुज्ञप्ति की शर्ते

- 1. वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की गई है :--
 - (क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम और नियमों के सभी सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करेगा;
 - (ख) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के किसी अतिलंघन को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित नहीं करेगा;
 - (ग) इस अनुज्ञप्ति को उस परिसर के, जिससे इसका संबंध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा;
 - (घ) किन्हीं ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों का अनुपालन करेगा जो नियंत्राक, विधिक माप–विज्ञान द्वारा दिए जाए;
 - (ङ) कारबार के बन्द होने और / या अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा;
 - (च) राज्य के भीतर विनिर्मित और उपयोग के लिए आशयित यथास्थिति, बाँटों, मापों, तौल या माप उपकरणों को विक्रय से पूर्व सत्यापन तथा स्टाम्पित करने के लिए निरीक्षक को पेश करेगा;

- (छ) यथास्थिति, ऐसे बाँटों, मापों तौल या माप उपकरणों को, जो राज्य के बाहर विनिर्मित और उपयोग के लिए आशयित हैं तथा जो अन्तर्राज्यीय सत्यापन एवं मुद्रांकन नियम, 1987 (इंटर स्टेट वेरिफिकेशन एण्ड स्टाम्पिंग रूल्स, 1987) की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आते है, विक्रय के पूर्व सत्यापन तथा स्टाम्पित करने के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा, और
- (ज) नियमों की अपेक्षानुसार इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की तारीख की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले प्रस्तुत करेगा।
- 2. इस अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्रा में अधिसूचित की जाती है तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी, जिन्हें अनुज्ञप्ति दी गई है।"

त्मदमूंस मदजतपमे

ब्नततमदज छव३३३३३ण क्जम ३३३ण	ब्नततमदज छव३३३३३ण्ण कंजम ३३३ण
त्मदमूमक वित	त्मदमूमक वित
Seal ब्बदजतवससमत विस्महंस डमजतवसवहल	Seal ब्बदजतवससमत विस्महंस डमजतवसवहल
ब्नततमदज छव३३३३३ण कंजम ३३३ण	ब्नततमदज छव३३३३३ण कंजम ३३३ण
त्मदमूमक वित	त्मदमूमक वित
Seal ब्बदजतवससमत विस्महंस डमजतवसवहल	Seal ब्बदजतवससमत विस्महंस डमजतवसवहल
ब्नततमदज छव३३३३३ण कंजम ३३३ण	ब्नततमदज छव३३३३३ण कंजम ३३३ण
त्मदमूमक वित	त्मदमूमक वित
Seal ब्बदजतवससमत विस्महंस डमजतवसवहल	Seal ब्बदजतवससमत विस्महंस डमजतवसवहल

"ब्रम्कन्स टप

ख्मम तनसम 12 ;3द्ध, स्पबमदेपदह ध्वतउे थ्व्ह स्ट.3

ळव्टम्त्छडम्छज् ७ ड |क्फ्ल। च्ट |क्फ्न

रुध्यम के उपम ब्लक्स स्था |र सम्ब्राहरू

रप्रमुक्त कर तन्त्र। द मुक्त कर्मान्तम् स्थापक प्रमुक्त प

स्पबमदेम छव ३३३ण ल्मंत ३३३

- 2. जीम सपबमदेम पे अंसपक वित जीम चंतजल दंउमक इवअम पद तमेचमबज विभे वर्तोविच सवबंजमक ज ३३३३३ण
- 3. जीपे सपबमदेम पे अंसपक तिवउ ३३३३३३०ण जव 31^{ेज} क्मबमउइमतए 19 ३३३३३
- 4. जीम तमचंपतमतों संस बवउचसल ूपजी जीम बवदकपजपवदे दवजमक इमसवूण पीम पिसे जव बवउचसल ूपजी ंदल वदमएीपे सपबमदेम पे सपंइसम जव इम बंदबमससमकण
- 5. जीम चंतजल पे सपबमदेमक जव तमचंपत मपहीजेए उमेंनतमेए मपहीजपदह ंदक उमेंनतपदह पदेजतनउमदजे पद जीम ंतमें वदमक इमसवू .

्रैपहदंजनतमद्ध

ब्वदजतवससमत विस्महंस डमजतवसवहल

ै;मंसद्ध

डंकीलं च्तंकमी

33333333⁰

33333333⁰

छवजम रू प्द जीम बेंम विपितउए पजे दंउम ूपजी जीम दंउमे विस्ता चमतेवदे विभावह दल पदजमतमेज पद जीम इनेपदमे विनसक इम हपअमद पद चंतंहतंची ;1द्धण

"अनुज्ञप्ति की शर्ते

- 1. वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की गई है :--
 - (क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम और नियमों के सभी सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करेगा;
 - (ख) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधो के किसी अतिलंघन को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित नहीं करेगा;
 - (ग) इस अनुज्ञप्ति को उस परिसर के, जिससे इसका संबंध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा;
 - (घ) किन्हीं ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों का अनुपालन करेगा जो नियंत्राक, विधिक माप–विज्ञान द्वारा दिए जाए;
 - (ङ) कारबार के बन्द होने और / या अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा;
 - (च) (एक) सम्यक् रूप से मरम्मत किए गए यथास्थिति, बाँटों, मापों, तौल या माप उपकरणों को उपयोगकर्ता को परिदत्त करने से पूर्व नियम 14(1) में विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार सत्यापन तथा स्टाम्पित करने के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।
 - (दो) बाँटो, मापों, तौल या माप—उपकरणों के मामले में यदि उनकी उस तारीख से जिसको सत्यापन परिशोध्य हो जाता है, पूर्व सर्विस / मरम्मत की जाती है और जहां इस प्रक्रिया में निरीक्षक की सत्यापन मुद्रा बिगड़ जाती है, निकल या टूट जाती है तो

- उनको उपयोगकर्ता को परिदत्त करने से पूर्व सम्यक् रूप से मरम्मत कर पुनः सत्यापन तथा स्टाम्पित करने के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) नियमों की अपेक्षानुसार इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की तारीख की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले प्रस्तुत करेगा।
- 2. इस अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्रा में अधिसूचित की जाती है तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी, जिन्हें अनुज्ञप्ति दी गई है।"

त्मदमूंस म्दजतपमे

ब्नततमदज छव३३३३३ण्ण कंजम ३३३ण	ब्नततमदज छव३३३३३ण कंजम ३३३ण
त्मदमूमक वित Seal ब्वदजतवससमत विस्महंस डमजतवसवहल	त्मदमूमक वित Seal ब्वदजतवससमत विस्महंस डमजतवसवहल
ब्नततमदज छव३३३३३ण कंजम ३३३ण	ब्नततमदज छव३३३३३ण कंजम ३३३ण
त्मदमूमक वित	त्मदमूमक वित
Seal ब्वदजतवससमत विस्महंस डमजतवसवहल	Seal ब्यदजतवससमत विस्महंस डमजतवसवहल

(25) अनुसूची 6 में प्ररूप ठद्द 3 में शीर्षक "अनुज्ञप्ति की शर्तें" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात् ः

"अनुज्ञप्ति की शर्ते

- 1. वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की गई है :--
 - (क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम और नियमों के सभी सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करेगा;
 - (ख) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधो के अतिलंघन को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित नहीं करेगा;
 - (ग) इस अनुज्ञप्ति को उस परिसर के, जिससे इसका संबंध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा:
 - (घ) किन्हीं ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों का अनुपालन करेगा जो नियंत्राक, विधिक माप–विज्ञान द्वारा दिए जाए;
 - (ङ) कारबार के बन्द होने और / या अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगाः
 - (च) नियमों की अपेक्षानुसार इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले प्रस्तुत करेगा;
 - (छ) किसी मानकेतर बाँट या माप का न तो विक्रय करेगा, न विक्रय के लिए उनकी प्रस्थापना, प्रदर्शित या उन्हें अपने पास रखेगा;

- 2. इस अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्रा में अधिसूचित की जाती है तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी, जिन्हें अनुज्ञप्ति दी गई है।"
- (26) अनुसूची ७ के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् 🗌

"अनुसूची-7

(नियम 12 (5) देखिये)

बाँटो और मापों के विनिर्माताओं, मिस्त्रियों या व्यवहारियों के लिए अनुज्ञप्ति और नवीकरण फीस :--

> विनिर्माता मिस्त्री व्यवहारी

रूपये 500 / — प्रति वर्ष रूपये 100 / — प्रति वर्ष

रूपये 100 / - प्रति वर्ष"

ें अमक्त्स दुटपः। "

खैमम तनसम दृ 12 ;5।द्ध,

थ्मम वित जीम संजमतंजपवद वि सपबमदेम रेण 50ण थ्मम वित जीम पेनम विकनचसपबंजम सपबमदेम रेण 10ण

अनुसूची-8

(नियम 12 ;6द्धए (7) देखिये)

ळवअमतदउमदज विडंकीलं च्तंकमी

वीपेबम वि ब्वदजतवससमत वि समहंस उमजतवसवहल

त्महपेजमत वि सपबमदेमक उंदनबिजनतमतेध त्मचंपतमतेध क्मंसमते पे ूमपहीजेए उमेंनतमेए ूमपहीपदह

पदेजतनउमदजेध उमेंनतपदह पदेजतनउमदजे

वीपेबम वि ३३३३३३३७

स्पबम	कंजम	छंउम ंदक	च्संबम	।तजपबसमे	ज्तंकम	व्तकमते	त्मेन	[®] पहदंजन	त्म
देम	वि	बवउचसम	्रीमतम	जव इम	उंताध	तमहंतकप	सज	तम वि	उ
छनउइ	पेनमध	जम	ूवतोीवचध	उंदनबिजनत	उवदवहतं	दह	वि	बवउचम	।ता
मत	तमदमूं	ंककतमे वि	बिजवत	मकध	उ	बंदबमससं	चचमं	जमदज	
	स	जीम	ल पे	तमचंपतमक	इमपदह	जपवद वि	स	⁻ नजीवतप	
		उंदनबिजन	`पजनंजम	`वसक	नेमक	सपबमदेम		ਯਕ	
		तमत	क						
		ध्तमचंपतम							
		तध							
		कमंसमत							
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11

छवजम रू ब्वसनउद ;4द्ध कवमे दवज चचसल जव कमंसमतेए बवसनउद ;6द्ध कवमे दवज चचसल जव तमचंपतमते दक कमंसमतेण

अनुसूची—9

(नियम 12 (7) देखिये)

2500,	अनुज्ञप्तिधारी मिस्त्राी द्वारा किया जाने वाला प्रतिभूति निक्षेप :– तौल और माप के उपकरणों को अपवर्जित करते हुए, बाँटों और मापों का मिस्त्री रूपये / –
5000 ,	तौल और माप के उपकरणों को सम्मिलित करते हुए, बाँटों और मापों का मिस्त्री रूपये / –
सामने (29)	अनुसूची 11 के निम्नलिखित टिप्पण अन्त में जोड़ा जाए, अर्थात् ः ि "टिप्पण :— अर्स्वीकृत बाँटों और मापों आदि के मामले में निरीक्षक प्रत्येक आइटम के नामंजूर करने के कारणों को उल्लेखित करते हुए नामंजूर करने का पृथक् प्रमाण—पत्र देगा." अनुसूची 13 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् ः ि उक्त नियमों में अनुसूची बारह के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाय अर्थात्
(30)	ज्यत भवना में जनुत्रूवा पारंह पर स्वाम पर भिनालाखर जनुत्रूवा स्वापित पर जाप जवात्
	"अनुसूची—12
	(नियम 17 (1) देखिये)
बांटों, फीस	मापों और तौल के उपकरणों और मापों के उपकरणों के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए देय :
1.	बांट :
	"अनुसूची—13
	(नियम 25 (1) देखिये)
प्ररूप	निरीक्षक / सहायक नियंत्रक / उपनियंत्रक / नियंत्रक के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए :
1.	अपीलार्थी का नाम और पता
2.	निरीक्षक / सहायक नियंत्रक / उपनियंत्रक / नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के आदेश का क्रमांक तथा तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गई है। (आदेश की प्रति संलग्न करें)
3.	क्या अपीलार्थी यह चाहता है कि उसे स्वयं सुना जाय या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा उसे सुना जाय
4.	अपील का आधार
	"अनुसूची—12
	~ 3 % · 12
	(नियम 17 (1) देखिये)
बांटों,	मापों और तौल के उपकरणों और मापों के उपकरणों के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए देय

(क) बुलियन बांट

बांट :

फीस :-

पुनरीक्षित दर प्रतिबांट

अभिधान	फीस
	(रू. पै.)
20 कि.ग्रा.	20.00
10 कि.ग्रा.	20.00
5 कि.ग्रा.	15.00
२ कि.ग्रा.	15.00
1 कि.ग्रा.	15.00
500 ग्राम	10.00
200 ग्राम	10.00
100 ग्राम	10.00
50 ग्राम	10.00
20 ग्राम	10.00
10 ग्राम	10.00
5 ग्राम	10.00
2 ग्राम	10.00
1 ग्राम	10.00
500 मि.ग्रा.	10.00
200 मि.ग्रा.	10.00
100 मि.ग्रा.	10.00
50 मि.ग्रा.	10.00
20 मि.ग्रा.	10.00
10 मि.ग्रा.	10.00
५ मि.ग्रा.	10.00
2 मि.ग्रा.	10.00
1 मि.ग्रा.	10.00
(ख) पीतल बांट (बुलियन से भिन्न) :	
1 कि.ग्रा.	5.00
500 ग्राम	3.00
200 ग्राम	3.00
100 ग्राम	3.00
50 ग्राम	3.00
20 ग्राम	3.00
10 ग्राम	3.00
5 ग्राम	3.00
2 ग्राम	3.00
1 ग्राम	3.00
(ग) चादरी धातु बांट (बुलियन से भिन्न) :	
500 मि.ग्रा.	3.00
200 मि.ग्रा.	3.00
100 मि.ग्रा.	3.00
50 मि.ग्रा.	3.00
20 मि.ग्रा.	3.00
10 मि.ग्रा.	3.00
5 मि.ग्रा.	3.00
2 मि.ग्रा.	3.00

1 मि.ग्रा.	3.00
() 4 4	
(घ) लौह और इ्स्पात बांट :	
50 कि.ग्रा.	10.00
20 कि.ग्रा.	10.00
10 कि.ग्रा.	10.00
५ कि.ग्रा.	10.00
२ कि.ग्रा.	10.00
1 कि.ग्रा.	10.00
500 ग्राम	3.00
200 ग्राम	3.00
100 ग्राम	3.00
50 ग्राम	3.00
(ख) कैरेट बाट	
500 कैरेट	10.00
200 कैरेट	10.00
100 कैरेट	10.00
50 कैरेट	10.00
10 कैरेट	10.00
5 कैरेट	10.00
2 कैरेट	10.00
1 कैरेट	10.00
50 / 100 कैरेट	10.00
20 / 100 कैरेट	10.00
10 / 100 कैरेट	10.00
5/100 कैरेट	10.00
2/100 कैरेट	10.00
1/100 कैरेट	10.00
0. / 100 कैरेट	10.00
2. क्षमता माप :	
100 लीटर और	पहले 100 लीटर के लिये 20
अधिक	रूपये ५ रूपये प्रत्येक अतिरिक्त
	100 लीटर या उसे भाग के लिए
	किन्तु अधिकतम 50 रूपये के
-0	अधीन रहते हुए।
50 ਕੀਟਾ	20.00
20 ਕੀਟਾ	10.00
10 ਕੀਟर	10.00
5 लीटर	5.00
2 लीटर	5.00
1 लीटर	5.00
500 मि.ली.	5.00
200 मि.ली.	5.00
100 मि.ली.	5.00
50 ftt -1 1	F 00

5.00

50 मि.ली.

20 मि.ली.	5.00
10 मि.ली.	5.00
5 मि.ली.	5.00
2 मि.ली.	5.00
1 मि.ली.	5.00

3. लम्बाई माप : (क) अनम्य

2	लीटर	5.00
1	मीटर (सामान्य)	5.00
0.5	मीटर (सामान्य)	5.00
1.00	मीटर	10.00
	(प्रत्येक से.मी. पर मापांकित)	
0.5	मीटर	10.00
	(प्रत्येक से.मी. पर मापांकित)	

(ख) फेब्रिक या प्लास्टिक फीता –

1 1 11	CITICO TO TOTAL	
10	मीटर और अधिक	10 मीटर फीते के
		लिए रू. 6.00 प्रत्येक
		अतिरिक्त 5 मीटर के
		लिए रू. 2.00
5	मीटर	5.00
5	मीटर	5.00
3	मीटर	5.00
2	मीटर	5.00
1.5	मीटर	5.00
1	मीटर	5.00
0.5	मीटर	5.00

(ग) बुना हुआ — 50 मीटर

50 मीटर	प्रथम 10 मीटर फीते के
30 मीटर	लिए रू. 10 रूपये 5 प्रत्येक
	अतिरिक्त
20 मीटर	5 मीटर के लिए
10 मीटर	–तदैव–
15 मीटर	–तदैव–
5 मीटर	5.00
4 मीटर	500
3 मीटर	5.00
2 मीटर	5.00
1.5 मीटर	5.00
1 मीटर	5.00
0.5 मीटर	5.00

(घ) इस्पात फीते –

50 मीटर प्रथम 10 मीटर फीते के लिए

30 मीटर	रू. 10 रूपये 5 प्रत्येक अतिरिक्त
0	
20 मीटर	5 मीटर के लिए
10 मीटर	<u> </u>
5 मीटर	5.00
4 मीटर	5.00
3 मीटर	5.00
2 मीटर	5.00
1ण्5 मीटर	5.00
1 मीटर	5.00
0.5 मीटर	5.00
स्कल्स :	
1 मीटर	5.00

(ड़) फोल्डिंग स्केल्स :

1 मीटर5.000.5 मीटर5.00

(च) सर्वेक्षण चैन :

30 मीटर30.0020 मीटर30.00

4. गैर स्वचलित तौल उपकरण यांत्रिक (मध्यम एवं साधारण सूचक यथार्थता वाली श्रेणी) :

400 ਟਜ	2000.00
300 ਟਜ	1500.00
200 ਟਜ	1500.00
150 ਟਜ	1000.00
100 ਟਜ	1000.00
80 ਟਜ	1000.00
60 ਟਜ	1000.00
50 ਟਜ	1000.00
40 ਟਜ	1000.00
30 ਟਜ	1000.00
25 टन	1000.00
20 ਟਜ	1000.00
15 टन	1000.00
10 ਟਜ	500.00
5 टन	250.00
3 ਟਜ	200.00
2 ਟਜ	200.00
1500 कि.ग्रा.	150.00
1000 कि.ग्रा.	150.00
500 कि.ग्रा.	150.00
300 कि.ग्रा.	100.00
250 कि.ग्रा.	100.00
200 कि.ग्रा.	50.00
150 कि.ग्रा.	50.00
100 कि.ग्रा.	50.00
50 कि.ग्रा.	50.00

30 कि.ग्रा.	50.00
25 कि.ग्रा.	30.00
20 कि.ग्रा.	30.00
15 कि.ग्रा.	20.00
10 कि.ग्रा.	20.00
५ कि.ग्रा.	20.00
3 कि.ग्रा.	20.00
२ कि.ग्रा.	20.00
1 कि.ग्रा.	20.00
500 ग्राम और	10.00
उसके नीचे	
स्नान कक्ष तराजू	100.00
को अपवर्जित करते	
हुए व्यक्तियों को	
तौलने की मशीन	

5. डण्डी वाली तराजू : (वर्ग क और ख)

200 कि.ग्रा.	200.00
100 कि.ग्रा.	150.00
50 कि.ग्रा.	120.00
20 कि.ग्रा.	120.00
10 कि.ग्रा.	100.00
5 कि.ग्रा.	80.00
2 कि.ग्रा.	80.00
1 कि.ग्रा.	80.00
500 ग्राम और उससे कम	50.00

6. डण्डी वाली तराजू : (वर्ग ग और घ)

(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1000 कि.ग्रा.	100.00
500 कि.ग्रा.	100.00
300 कि.ग्रा.	100.00
200 कि.ग्रा.	50.00
100 कि.ग्रा.	50.00
50 कि.ग्रा.	15.00
20 कि.ग्रा.	15.00
10 कि.ग्रा.	15.00
५ कि.ग्रा.	10.00
2 कि.ग्रा.	10.00
1 कि.ग्रा.	10.00
500 ग्राम और उससे कम	500

7. उच्च यथार्थता श्रेणी एवं विशेष यथार्थता के यांत्रिक तथा इलेक्ट्रिानिक तौल उपकरण :

50 टन से अधिक1500.0050 टन से अधिक1000.00

किन्तु 10 टन से अधिक

10 टन से अनधिक	500.00
किन्तु 1 टन से अधिक	
1 टन से अनधिक	300.00
किन्तु 50 कि.ग्रा. से अधिक	
50 कि.ग्रा. से अनधिक	200.00
किन्तु 10 कि.ग्रा. से अधिक	
10 कि.ग्रा. से अनधिक	120.00

8. स्वचलित तौल मशीन :

10 टन से अधिक
10 टन से अनधिक
1000.00
किन्तु 1 टन से अधिक
1 टन से अनधिक
2500.00
किन्तु 50 कि.ग्रा. से अधिक
50 कि.ग्रा. से अनधिक
150.00
किन्तु 10 कि.ग्रा. से अधिक
10 कि.ग्रा. से अनधिक

9. योगकरण मशीन :

 (क) स्वतंत्रा मशीन
 1000.00

 (ख) अतिरिक्त मशीन के यप में
 500.00

10. आयतन मापक उपकरण:

(क) डिसपेंसिंग पम्प प्रत्येक पम्प 500.00 (ख) योगकरण काउंटर्स 250.00

(ग) अन्य उपकरण 100 लीटर से अधिक पहले 100 लीटर के लिए 250.00 प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए 150.00 किन्तु अधिकतम 5000.00 के अध्ययीन रहते हुए।